



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112025-267727  
CG-DL-E-17112025-267727

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2025/कार्तिक 23, 1947

No. 339]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025

प्रारंभिक जांच परिणाम

मामला सं.-एडी (ओआई) -03/2025

विषय: ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राथमिक जांच परिणाम।

फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर.—

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ('आईएमसीओएम') (जिसे आगे "आवेदक" या "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी

कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे यहां आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च 2025 की अधिसूचना सं. 6/03/2025-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

#### ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
  - i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को इस पाटनरोधी आवेदन-पत्र प्राप्त होने की सूचना दी।
  - ii. प्राधिकारी ने 29 मार्च 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
  - iii. प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति प्रश्नावली के साथ भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पत्तों पर भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
  - iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराई।
  - v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
  - vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी:
    1. ए टी ग्लोबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
    2. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड
    3. बल्क ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
    4. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड
    5. ग्लोबल रिसोर्सेज ग्रुप (जीआरजी) लिमिटेड
    6. हार्ग्रीव्स रॉ मटेरियल सर्विसेज जीएमबीएच
    7. हांगकांग ग्लोबल फेयर ट्रेड कंपनी लिमिटेड

8. हांगकांग पु तियान इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
9. आईएमआर मेटलर्जिकल रिसोर्सेज एजी
10. इंडो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडसी
11. इनोवेशन वर्ल्डवाइड डीएमसीसी
12. जैकोबी कार्बन्स एजी
13. जिनान कोसेव न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
14. लिन्यी ट्रेड सिटी यिकार्डिंग सप्लाई चेन कंपनी लिमिटेड
15. मेरिडियन ग्लोबल रिसोर्सेज (हांगकांग) लिमिटेड
16. मेटल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
17. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
18. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
19. निंग्जिया एक्टेक उद्योग निगम
20. निंग्जिया हुआहुई एक्टिवेटेड कार्बन कंपनी लिमिटेड
21. निंग्जिया हुआहुई पर्यावरण प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड
22. निप्पांन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
23. नोबेल रिसोर्सेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
24. नोरेकॉम डीएमसीसी
25. न्यूमेन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
26. न्यूमेरको लिमिटेड
27. प्रॉसपेरिटी डेवलपमेंट एंटरप्राइज
28. शानक्सी जेनिथ आई ई कंपनी लिमिटेड
29. शाहे जी जिन पेट्रोलियम कोक ट्रेड कंपनी लिमिटेड
30. शेडोंग गंगडा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
31. सिएरा ब्लैंका ग्रुप एसएसएस
32. सिनोमेट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन
33. थिसेनक्रुप मैटेरियल्स ट्रेडिंग एशिया प्राइवेट लिमिटेड
34. ट्रेफिगुरा प्राइवेट लिमिटेड
35. ट्रेफुगुरा प्राइवेट लिमिटेड
36. यूजीएम ग्रुप लिमिटेड
37. वीज़ा कमोडिटीज़ एजी
38. विटेलिया ट्रेड लिमिटेड
39. वर्ल्ड मेटल्स एंड अलॉयज़ (एफजेडसी)
40. येउंग ताई एनवायरनमेंटल इंडस्ट्रियल (एचके) कंपनी लिमिटेड
41. ज़ूपिंग जिंगगुआंग कोक ट्रेडिंग कंपनी

- vii. प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने दिया।
1. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड
  2. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग
  3. हांगकांग जिनटेंग डेवलपमेंट लिमिटेड
  4. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन, जापान
  5. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन RTM जापान लिमिटेड
  6. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया
  7. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया
  8. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया
  9. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड
  10. रिसुन मैटेरियल्स कंपनी, लिमिटेड (जापान)
  11. रिसुन वेईशान इंजीनियरिंग (हेनान) लिमिटेड, चीन
- viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावलियां भेजीं। ऐसे आयातकों और प्रयोक्ताओं की एक सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।
- ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा जारी आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में भाग लिया है।
1. आर्सेलरमिस्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  2. मुकुंद लिमिटेड
  3. नियो मेटालिक्स लिमिटेड
  4. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
  5. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
- x. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
1. घरेलू उद्योग
  2. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ("एएसपीए")
  3. ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
  4. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड
  5. आर्सेलरमिस्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
  6. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
  7. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
  8. मुकुंद लिमिटेड
  9. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन
  10. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड

- xi. इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों ने भी अनुरोध दायर किए थे।
1. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
  2. बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड
  3. पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करें।
- xiii. प्राधिकारी ने 22 मई 2025 को एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियों पर चर्चा करने और स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के आधार पर, प्राधिकारी ने 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया।
- xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- xv. डीजी सिस्टम से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के बाद आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- xvi. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर किया गया है, जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के अनुसार निकाला गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान अंतरिम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 महीने) है। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि मानी गई है।
- xviii. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्य के साथ समर्थित की सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, इन प्राथमिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
- xix. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार कर दिया है या नहीं दी है, या जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

xx. इस प्राथमिक जांच परिणाम में '\*\*\*' गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी सूचना दर्शाते हैं।

xxi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉ. = 84.27 रु. है।

**ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

4. इस जांच की शुरुआत में, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र इस प्रकार माना गया था:

*"लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, यानी 18% से कम ऐश कंटेंट वाला मेटालर्जिकल कोक, जिसमें 0.030% तक फॉस्फोरस कंटेंट वाला अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसका आकार 30 एमएम तक हो और 5% आकार टॉलरेंस हो, जिसका इस्तेमाल फेरोअलॉय बनाने में होता है। मेटालर्जिकल कोक का इस्तेमाल उन उद्योगों में प्राइमरी फ्यूल के तौर पर किया जाता है, जहाँ भट्टियों या फर्नेस में एक जैसा और ज्यादा तापमान चाहिए होता है, जैसे पिग आयरन, फाउंड्री, फेरो अलॉय, केमिकल प्लांट और स्टील प्लांट के उत्पादन में।"*

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- i. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें 18% से कम राख सामग्री और 30 एमएम तक कण आकार (5% सहनशीलता के साथ) वाला एलएएम कोक शामिल है। विचाराधीन उत्पाद में अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक ( $\leq 0.030\%$  पी) शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद केवल फेरो-मिश्र धातु निर्माण के लिए अभिप्रेत एलएएम कोक तक ही सीमित है।
- ii. घरेलू उद्योग 12% तक राख सामग्री वाला मेट कोक का निर्माण नहीं करता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- iii. चूंकि घरेलू उद्योग 0.030% तक फास्फोरस सामग्री वाला अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक का निर्माण नहीं करता है, इसलिए इसे आकार या उद्योग की परवाह किए बिना बाहर रखा जाना चाहिए।
- iv. कोक फाइन और ब्रीज़ को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन अलग से नहीं किया जाता है और यह एक उप-उत्पाद है। प्राधिकारी ने रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच में कोक फाइन और कोक ब्रीज़ को बाहर रखा था।
- v. प्राधिकारी यह जांचने के लिए घरेलू उद्योग के बिक्री रजिस्टर का सत्यापन कर सकता है कि क्या जिन ग्रेडों के लिए बाहर करने का अनुरोध किया गया है, उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्राओं में बेचा गया है।
- vi. जबकि निर्यातक ने विशेष रूप से कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए 10-50 एमएम आकार वितरण वाला मेट कोक निर्यात किया है, घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता है। तदनुसार, कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को बाहर रखा जाना चाहिए।
- vii. नट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग किए जाने वाले लंप कोक से अलग है। नट कोक भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।
- viii. छोटे लंप कोक को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उच्च कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिडक्शन ("सीएसआर") और कम कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स ("सीआरआई") वाला एक उप-उत्पाद है। ये मापदंड ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हैं।

- ix. लंप कोक को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग विशेष रूप से ब्लास्ट फर्नेस स्टीलमेकिंग के लिए किया जाता है और इसमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाले गुण होते हैं।
- x. 30-50 एमएम आकार वाले मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।
- xi. निष्पान कोक के ब्लास्ट फर्नेस के लिए लंपी कोक के ग्रेड में हाई स्ट्रेंथ मेटालर्जिकल कोक शामिल है, जिसका माइक्रो इंडेक्स ज्यादा होता है और सीआरआई को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।
- xii. नरसिंह इस्पात लिमिटेड ("एनआईएल") पिग आयरन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में 20-40 एमएम लो एंश मेटालर्जिकल कोक का उपयोग करता है और वर्तमान जांच से सीधे प्रभावित होता है। इसलिए, इसे वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- xiii. एनआईएल के पास 100 क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाले मिनी ब्लास्ट फर्नेस हैं जो तकनीकी बाधाओं के कारण स्टैंडर्ड कोक आकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। भारत में माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग एनआईएल, बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड और पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
- xiv. एनआईएल ने 2023-24 में घरेलू निर्माताओं से, सीधे आयात करके और भारत में व्यापारियों के माध्यम से मेट कोक खरीदा है।
- xv. 20-40 एमएम आकार के लो एंश मेटालर्जिकल कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू निर्माता भारत में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन नहीं करते हैं। उक्त उत्पाद केवल एक उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है।
- xvi. भारत में संबद्ध सामान की कुल मांग का केवल 5% ही एलएएम कोक 20-40 एमएम की मांग है। आयात केवल पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित हैं और केवल पिग आयरन निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। चूंकि भारतीय उद्योग इस आकार का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए ऐसे उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है।
- xvii. घरेलू उत्पादकों ने लिखित पत्राचार के माध्यम से 20-40 एमएम कोक की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की है। 40 एमएम से कम आकार, केवल घरेलू निर्माताओं के कैप्टिव खपत के लिए है, न कि व्यापारिक बिक्री के लिए। घरेलू उत्पादकों ने एनआईएल को 20-50 एमएम और 20-85 एमएम के वैकल्पिक आकार की पेशकश की है, हालांकि, ऐसे आकार माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।
- xviii. 20-40 एमएम आकार के कोक में अलग-अलग विशेषताएं होती हैं जो इसे कोक के बड़े आकार से तकनीकी रूप से अलग बनाती हैं। यह आकार गैस प्रवाह पैटर्न, गर्मी हस्तांतरण और फर्नेस संचालन को प्रभावित करता है।
- xix. माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए आवश्यक उत्पाद वह है जिसमें राख की मात्रा 13% तक हो। घरेलू उत्पादक आमतौर पर उच्च राख सामग्री वाला कोक बनाते हैं जो माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस के लिए अनुपयुक्त है।
- xx. एंश कंटेंट, साइज़, मॉइस्चर कंटेंट, रिडक्शन के बाद कोक स्ट्रेंथ (सीएसआर) और कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स (सीआरआई) जैसे मापदंड विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत पर असर डालते हैं और पीसीएन के उद्देश्य से इन पर विचार किया जाना चाहिए।

- xxi. अनुप्रयोग, यानी ब्लास्ट फर्नेस के लिए मेट कोक और कोरेक्स के लिए मेट कोक पर पीसीएन के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए।
- xxii. इस जांच के लिए, 5% तक और 5% से ज़्यादा वज़न के हिसाब से नमी की मात्रा और 5% तक और 5% से ज़्यादा मात्रा के हिसाब से छोटे कणों की मात्रा को पीसीएन माना जाना चाहिए।
- xxiii. टंबलर स्ट्रेंथ (एम40) को पीसीएन के लिए एक मापदंड माना जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा एम40 कम एम40से ज़्यादा खर्चीला होता है।

## ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत की अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा माने गए उत्पाद क्षेत्र पर वर्तमान जांच के क्षेत्र के लिए विचार किया जाए।
- ii. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उस उत्पाद की विशेषताओं का प्रकटन करने में विफल रहा है जिसके लिए उन्हें बाहर का अनुरोध किया गया है।
- iii. अन्य हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि घरेलू उद्योग उन ग्रेड के समान वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है जिनके लिए उन्हें बाहर करने का अनुरोध किया गया है।
- iv. संबद्ध सामानों के विभिन्न ग्रेड का उत्पादन करने के लिए, केवल वांछित मापदंडों वाला कोयला आवश्यक है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचानी गई विशेषताओं वाले संबद्ध सामानों की उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घरेलू उद्योग के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचानी गई विशेषताओं वाले उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है।
- v. घरेलू उद्योग ने 12% और उससे कम राख सामग्री वाला मेट कोक का उत्पादन और बिक्री की है और इसके लिए उसे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है।
- vi. स्मॉल लम्प कोक, लम्प कोक, नट कोक और 30-50 एमएम आकार के कोक को केवल आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि आकार पूरी तरह से स्क्रीनिंग पर निर्भर करता है, इसलिए घरेलू उद्योग सभी आकार के मेट कोक का निर्माण करने में सक्षम है।
- vii. घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में नट कोक का उत्पादन और बिक्री की है। इस प्रकार, नट कोक को बाहर करना उचित नहीं है।
- viii. लम्प कोक और स्मॉल लम्प कोक शब्दावली का उपयोग भारत में नहीं किया जाता है और अन्य हितबद्ध पक्षकार ऐसे उत्पाद की विशेषताओं को प्रदान करने में विफल रहे हैं।
- ix. चूंकि लम्प कोक और स्मॉल लम्प कोक दोनों का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग में किया जाता है और घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है, इसलिए घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति की है। इसलिए, इस संबंध में इसे बाहर करने का अनुरोध उचित नहीं है।
- x. भारत में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले मेट कोक की कोई मांग नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग को ऐसे उत्पाद के लिए किसी ने पूछा ही नहीं है, इसलिए इसका उत्पादन नहीं किया गया है। हालांकि, घरेलू उद्योग केवल उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को बदलकर इसका उत्पादन करने में सक्षम है। उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

- xi. एक आवेदक ने हाल ही में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाला मेट कोक का उत्पादन किया है। हालांकि, ऐसा उत्पाद बेचा नहीं गया है क्योंकि भारत में इस उत्पाद की कोई मांग नहीं है।
- xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत, कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का इस्तेमाल बड़े आकार के मेट कोक जैसा ही होता है। यह उत्पाद जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा बनाया और बेचा गया है। इसलिए, इसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।
- xiii. इस जांच में किसी ग्रेड को बाहर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि पिछली जांचों में इसे बाहर कर दिया गया था। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन उत्पाद को बदलने पर कोई रोक नहीं है। प्राधिकारी ने पहले भी अलग-अलग जांच में अलग-अलग उत्पाद क्षेत्रों पर विचार किया है।
- xiv. घरेलू उद्योग ने केवल वाणिज्यिक कारणों से फेरोअलॉय मैनुफैक्चरिंग के लिए यूएलपी कोक का उत्पादन नहीं किया है। फेरोअलॉय इंडस्ट्री को 30 एमएम या उससे कम आकार के यूएलपी कोक की ज़रूरत होती है। भारत में फेरोअलॉय अनुप्रयोग के लिए ऐसे उत्पाद की ज़रूरत भारतीय उद्योग के उत्पादन का केवल 5% है।
- xv. यूएलपी कोक के लिए बाहर करना केवल फेरोअलॉय इंडस्ट्री तक ही सीमित होना चाहिए क्योंकि किसी अन्य क्षेत्र को ऐसे उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। अगर, अंतिम प्रयोग के आधार पर इस बाहर रखना प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तो स्टील मैनुफैक्चरर्स और अन्य क्षेत्र यूएलपी कोक के आयात की ओर रुख कर सकते हैं क्योंकि यह सामान्य कोक की कीमत सहित शुल्क की तुलना में कम कीमत वाला हो जाएगा।
- xvi. घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस और फेरोअलॉय निर्माण को छोड़कर, अन्य अनुप्रयोग में इस्तेमाल के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने फेरोअलॉय निर्माण को छोड़कर अन्य अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद की आपूर्ति की है।
- xvii. यूएलपी कोक को 0.01% तक फास्फोरस मात्रा वाला माना जाना चाहिए, जो नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से साफ है।
- xviii. चूंकि ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए एक ही उत्पाद का इस्तेमाल होता है, और घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे बाहर रखने का अनुरोध सही नहीं है।
- xix. अन्य हितबद्ध पक्षकार उच्च माइकम इंडेक्स के लिए सही-सही मापदंड परिभाषित करने में विफल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान उक्त उत्पाद का उत्पादन किया है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।
- xx. एनआईएल द्वारा दायर किया गया अभ्यावेदन देरी से किया गया है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अनुरोध समय-सीमा के 122 दिन बाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईएल ने प्रयोक्ताओं या आयातकों की प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है और बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाए हैं। यह साफ तौर पर असहयोग दिखाता है।
- xxi. प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में चूक के कारण एनआईएल के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद, उसे प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
- xxii. एनआईएल ने रक्षोपाय जांच में डीजीटीआर द्वारा सिफारिशें जारी होने के बाद डीजी एफटी के सामने भी यही चिंताएं उठाई थीं। हालांकि, उस समय वाणिज्य मंत्रालय ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था।

- xxiii. भारतीय उद्योग ने 2एमएम से 200+ एमएम आकार के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति की है। मेट कोक का वांछित आकार में उत्पादन मेट कोक के आकार को तय करने की एक मात्र आवश्यकता है। उत्पाद का आकार तय करना उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा नहीं है।
- xxiv. जिंदल कोक लिमिटेड ने एनआईएल को उसके द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार उत्पाद की पेशकश की है। हालांकि, एनआईएल ने भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं दिया और उत्पाद आयात करना चुना।
- xxv. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड ने भी एनआईएल को उत्पाद की पेशकश की है। उसने 20-40 एमएम और 20-40 एमएम दोनों आकार के उत्पादों की पेशकश की है। हालांकि, एनआईएल ने नीलाचल से परीक्षण प्रयोजनों के लिए किसी आदेश के बिना 100 एमटी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कहा। ऐसे अनुरोध तय उद्योग प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
- xxvi. एनआईएल ने तथ्यों को छिपाया है और यह दिखाया है कि वह हमेशा से विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहा है। हालांकि, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पहले एनआईएल को काफी मात्रा में सप्लाई किया है। इसके अलावा, एनआईएल ने बंगाल एनर्जी लिमिटेड से 80 एमएम तक के कई आकार खरीदे हैं। चूंकि कंपनी अभी भी उसी फर्नेस के साथ काम कर रही है, इसलिए यह दावा कि वह केवल 20-40 एमएम का प्रयोग कर सकती है, गलत है।
- xxvii. एनआईएल ने विचाराधीन उत्पाद का आयात केवल पाटित कीमतों की उपलब्धता के कारण शुरू किया। एनआईएल ने यह माना है कि उसे यह उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमत से 10,000 रु. प्रति एमटी कम कीमत पर मिल रहा है। एनआईएल के लिए ऐसे उत्पाद को बाहर रखने से एनआईएल को अनुचित फायदा होगा और यह अन्य प्रयोक्ताओं की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएगा क्योंकि इससे 5 वर्षों में 1,250 करोड़ रु. की अनुचित बचत होगी।
- xxviii. 20-40 एमएम आकार की कोई तकनीकी ज़रूरत नहीं है, जो इस बात से साफ है कि एनआईएल ने 20-50 एमएम और 25-50 एमएम सहित कई आकार आयात किए हैं।
- xxix. एनआईएल ने अपने कुल आयात का 50% से ज्यादा पोलैंड से आयात किया है जो एक संबद्ध देश नहीं है।
- xxx. एनआईएल द्वारा किए गए अनुरोध के विपरीत, "माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस" जैसा कोई तकनीकी शब्द नहीं है। "मिनी ब्लास्ट फर्नेस" शब्द का इस्तेमाल छोटे ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग भारत में मिनी ब्लास्ट फर्नेस को नियमित रूप से आपूर्ति कर रहा है।
- xxxi. घरेलू उद्योग फेरोअलॉय इंडस्ट्री को 10-30 एमएम का उत्पाद की आपूर्ति करता है। चूंकि 10-30 एमएम आकार 20-40 एमएम से छोटा है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि भारतीय उद्योग ऐसे उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर पाएगा।
- xxxii. एनआईएल ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग कोक ब्रीज़ और फाइन्स के उत्पादन के कारण छोटे आकारों के लिए अधिक कीमत लेता है, परंतु वह सही नहीं है। घरेलू उद्योग ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में 10-30 एमएम कोक के लिए अधिक कीमतें नहीं लगाता है।
- xxxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि पहचाने गए मापदंड उत्पादन लागत में बड़ा बदलाव लाते हैं जिसके लिए ऐसे मापदंड के आधार पर पीसीएन बनाने की ज़रूरत है।
- xxxiv. पीसीएन तय करने के लिए बिक्री कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मांग-आपूर्ति की स्थिति, प्रयोक्ताओं द्वारा खरीदा की मात्रा, खरीद का माह, भुगतान शर्तें, सुपुर्दगी कार्यक्रम, स्थल बनाम संविदागत खरीद, उत्पादन लागत आदि जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग होता है।

xxxv. संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत का लगभग 90% हिस्सा कच्ची सामग्री, यानी कोकिंग कोल का होता है। कोयले या यूटिलिटियों की उत्पादन के कारण लागत, नमी की मात्रा, टंबलर स्ट्रेंथ (एम40), सीएसआर और सीआरआई जैसे मापदंडों के कारण अलग-अलग नहीं हो सकती है। इस प्रकार, ऐसे मापदंडों के आधार पर पीसीएन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

xxxvi. संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत 13% से कम राख की मात्रा के लिए 5% से ज़्यादा अलग नहीं होती है। उत्पादन लागत 13% और 18% के बीच राख मात्रा के लिए 5% से ज़्यादा अलग नहीं होती है। 13% से ज़्यादा और कम राख मात्रा वाले संबद्ध सामानों के बीच उत्पादन लागत में होता है।

xxxvii. ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए ब्रीज़ कोक, नट कोक और मेट कोक के उत्पादन में अंतर होता है।

xxxviii. अनुप्रयोग पीसीएन पर विचार करने का आधार नहीं हो सकते क्योंकि इसमें शामिल उत्पाद एक ही हैं और मापदंडों में कोई अंतर नहीं है जिससे उत्पादन लागत में परिवर्तन आए।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद कम राख वाला मेटालर्जिकल कोक है जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित उत्पादों को बाहर रखने का अनुरोध किया है।

i. 12% या उससे कम राख वाला मेट कोक।

ii. कोक ब्रीज़ और कोक फाइन

iii. नट कोक

iv. 30-50 एमएम आकार का कोक

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य दिया है कि उसने उपर्युक्त समान उत्पादों का उत्पादन और बिक्री व्यापारिक बाजार में की है। चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए ऊपर बताए गए उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा रहा है।

9. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामान में वांछित विशेषताएं, जिसमें अलग-अलग राख की मात्रा, टंबलर स्ट्रेंथ या माइकम मात्रा (एम 40), कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स (सीआरआई), रिडक्शन के बाद कोक स्ट्रेंथ (सीएसआर) और फास्फोरस मात्रा शामिल हैं, केवल सही गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती हैं। संबद्ध सामानों के तकनीकी मापदंडों को बदलने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आकार और अनुप्रयोग की परवाह किए बिना अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त उत्पाद का उपयोग केवल फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि फेरोएलॉय निर्माताओं को 30 एमएम तक के आकार वाले मेट कोक की आवश्यकता होती है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि वाणिज्यिक कारणों से, वह फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए यूएलपी कोक का निर्माण नहीं करता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि यूएलपी कोक का उत्पादन करने के लिए केवल सही गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता होती है और उत्पादन प्रक्रिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के अनुसार, उक्त उत्पाद का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। हालांकि, घरेलू उद्योग 30 एमएम तक के आकार और फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए यूएलपी कोक को बाहर रखने पर सहमत हो गया है। यह नोट किया जाता है कि आकार और अनुप्रयोग की परवाह किए बिना यूएलपी कोक को बाहर रखने की स्थिति में, अन्य प्रयोक्ता यूएलपी कोक के आयात की ओर रुख कर सकते हैं।

क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद यह अन्य प्रकार के मेट कोक की तुलना में सस्ता होने की संभावना है। इस तरह, प्राधिकारी ने फेरोअलॉय अनुप्रयोग में इस्तेमाल के लिए आयात किए जाने वाले 30 एमएम आकार तक के यूएलपी कोक को बाहर रखना सीमित किया है।

11. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि यूएलपी कोक को 0.01% तक फॉस्फोरस मात्रा वाला माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एक घरेलू उत्पादक की वेबसाइट के कुछ हिस्से दिए हैं, जिससे पता चलता है कि यूएलपी कोक को 0.01% तक फॉस्फोरस मात्रा वाला वर्गीकृत किया गया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में फेरोअलॉय मैनुफैक्चरिंग में इस्तेमाल के लिए 30 एमएम आकार तक 0.03% तक फॉस्फोरस मात्रा वाले यूएलपी कोक को बाहर रखा गया है। चूंकि फॉस्फोरस मात्रा को 0.01% तक सीमित करने से उत्पाद का क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसलिए इसे इस जांच के प्रयोजन के लिए नहीं माना जा रहा है।
12. इस अनुरोध के संबंध में कि कोक ब्रीज़ और कोक फाइन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि ये उत्पाद उप-उत्पाद हैं और रक्षोपाय जांच में इन्हें बाहर रखा गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का उत्पादन किया है। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन उत्पाद को अलग मानने में कोई कानूनी रोक नहीं है। प्राधिकारी के सतत परिपाटी के अनुसार, इस जांच के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के लिए एक नई जांच की गई है। चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में माना गया है।
13. कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए संबद्ध सामान को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद के बीच अंतर दिखाने वाले कोई तकनीकी मापदंड प्रदान नहीं किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का आकार 10-50 एमएम है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संबद्ध सामान में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 10-50 एमएम आकार का मेट कोक बनाया है। तदनुसार, कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखना उचित नहीं है।
14. लम्प कोक और छोटे लम्प कोक को बाहर रखने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उक्त उत्पाद के तकनीकी मापदंडों को गोपनीय बताया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए संबद्ध सामान का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद का उत्पादन किया है। चूंकि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान वस्तु की पेशकश की है, इसलिए लम्प कोक और छोटे लम्प कोक को बाहर रखने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।
15. 89 और उससे अधिक के माइकम इंडेक्स वाले संबद्ध सामान को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी ने पाया कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने \*\*\*% तक के उच्च माइकम इंडेक्स वाले संबद्ध सामान का उत्पादन किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि उच्च माइकम इंडेक्स वाले संबद्ध सामान को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च माइकम इंडेक्स वाले विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।
16. 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारत में उक्त उत्पाद की कोई मांग नहीं है और उक्त उत्पाद को कच्चे माल के मिश्रण को बदलकर बनाया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने एक आवेदक की एक परीक्षण रिपोर्ट भी प्रदान की है जिसमें दिखाया गया है कि उसने 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले संबद्ध सामान का उत्पादन किया है। हालांकि, यह उल्लेख किया गया है कि उक्त निर्माता मांग की कमी के कारण घरेलू बाजार में

ऐसे उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई को बाहर रखने के अनुरोध पर विचार नहीं किया है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नरसिंह इस्पात लिमिटेड ("एनआईएल") ने वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है क्योंकि यह 20-40 एमएम आकार के मेट कोक की खपत करता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उक्त अनुरोध बहुत देर से दायर किया गया है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईएल ने बहुत देर से एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत होने का अनुरोध किया है। हालांकि, प्राधिकारी ने एनआईएल को पंजीकृत कर लिया है क्योंकि इस जांच में एनआईएल को एक हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत करने से घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हितों को कोई हानि नहीं होगी।
18. इस संबंध में कि एनआईएल ने इस जांच में आईक्यूआर/यूक्यूआर का उत्तर नहीं दिया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों ने अनुरोध दायर किए हैं, जिन पर इस मामले में विचार किया गया है। अगर कोई पक्षकार उत्तर दायर नहीं भी करता है, तो भी प्राधिकारी जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए अनुरोध पर विचार करेंगे।
19. एनआईएल ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 20-40 एमएम आकार के कोक को बाहर रखने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध किया गया है कि यह आकार खास तौर पर मिनी ब्लास्ट फर्नेस वाले पिग आयरन विनिर्माताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और भारतीय उद्योग, भारत में मांग को पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा मात्रा में यह आकार उपलब्ध नहीं कराते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 20-40 एमएम आकार का कोक बनाने के लिए, केवल उत्पाद की क्रशिंग और स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। क्रशिंग और स्क्रीनिंग उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाज़ार में 2 एमएम से 200+ एमएम आकार के संबद्ध सामान का उत्पादन और बिक्री की है।
20. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि 20-40 एमएम आकार और एनआईएल द्वारा अनुरोध किए गए विशिष्ट उत्पाद वाला जिंदल कोक लिमिटेड और नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड द्वारा पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उत्पादकों ने एनआईएल को उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने की अपनी क्षमता और इच्छा व्यक्त करते हुए घोषणाएँ प्रस्तुत की हैं।
  - i. एक्का टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड
  - ii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
  - iii. जिंदल कोक लिमिटेड
  - iv. कृष्णा कोक प्राइवेट लिमिटेड
  - v. महालक्ष्मी ग्रुप
  - vi. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड
  - vii. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
  - viii. तमिलनाडु कोक एंड पावर लिमिटेड
  - ix. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड
  - x. वीज़ा कोक लिमिटेड
21. भारत में 20-40 एमएम उत्पाद की अनुपलब्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईएल ने खुद ही यह अनुरोध किया है कि उसने भारत में घरेलू अनुप्रयोगों से उक्त उत्पाद की कुछ मात्रा खरीदी है। इसके अलावा,

- रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों में से एक, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पहले भी एनआईएल को उक्त उत्पाद की आपूर्ति की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड से एनआईएल की खरीद केवल 20-40 एमएम तक सीमित नहीं थी और उसने विभिन्न आकार खरीदे हैं।
22. एनआईएल ने अनोध किया है कि घरेलू उद्योग कम आकार के कोक प्रदान नहीं कर सकता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 20-40 एमएम केवल कैप्टिव खपत के लिए है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने नियमित आधार पर नट कोक का उत्पादन और आपूर्ति की है। नट कोक का आकार 10-30 एमएम होता है जो एनआईएल द्वारा मांगे गए कोक के आकार से कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 9 आवेदक घरेलू उत्पादकों में से केवल एक कंपनी ही विचाराधीन उत्पाद का कैप्टिव रूप से खपत करती है। अन्य घरेलू उत्पादक केवल व्यापारिक बाजार के लिए उत्पादन करते हैं।
23. एनआईएल द्वारा 20-40 एमएम कोक के लिए कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं होने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, एनआईएल ने विभिन्न आकार के मेट कोक खरीदे हैं और 20-40 एमएम आकार तक सीमित नहीं रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने पहले भी एनआईएल को संबद्ध सामान प्रदान किया है और एनआईएल ने घरेलू उद्योग से विभिन्न आकार खरीदे हैं।
24. एनआईएल ने अनुरोध किया है कि उसे 13% से कम राख सामग्री वाला कोक चाहिए और घरेलू उत्पादक इसकी आपूर्ति नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि में उपलब्ध पीसीएन-वार आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान काफी मात्रा में 13% से कम राख सामग्री वाला मेट कोक का उत्पादन किया है और बेचा है।
25. कम आकार के कोक के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अधिक कीमतें वसूलने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों ने एक घोषणा की है कि वे अधिक कीमतें नहीं वसूलते हैं।
26. किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से तभी बाहर रखा जा सकता है जब ऐसा उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा नहीं जाता हो। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने यह उत्पाद एनआईएल को पेश नहीं किया है और न ही एनआईएल को यह उत्पाद बनाया और बेचा है। इसके अतिरिक्त, एनआईएल ने खुद भी यह बताया है कि उसने यह उत्पाद भारत में घरेलू विनिर्माताओं से खरीदा है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 20-40 एमएम कोक को बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
27. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, एनआईएल द्वारा लगभग 50% आयात पोलैंड से किया गया है जो एक गैर-संबद्ध देश है। एनआईएल गैर-संबद्ध देश से उचित कीमतों पर उत्पाद आयात करना जारी रख सकता है और साथ ही पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद संबद्ध देशों से भी उचित कीमतों पर संबद्ध सामान खरीद सकता है।
28. प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजन से उत्पाद के क्षेत्र को वही माना है जो जांच की शुरुआत की अधिसूचना में माना गया है।
- “लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, यानी 18% से कम ऐश कंटेंट वाला मेटालर्जिकल कोक, जिसमें 0.030% तक फॉस्फोरस कंटेंट वाला अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसका आकार 30 एमएम तक हो और फेरोअलॉय मैन्युकैचरिंग में इस्तेमाल के लिए 5% आकार सहायता हो।”*
29. विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 2704 0030 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य एचएस कोड जैसे 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामान में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकारों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामान के प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों के "समान वस्तु" माना जा रहा है।
31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सीआरआई, सीएसआर, नमी की मात्रा और टंबरल स्ट्रेथ (एम40) सहित मापदंडों को पीसीएन मापदंडों के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे मापदंडों से संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है। इसलिए, इन्हें अलग-अलग मापदंडों के रूप में नहीं माना गया है।
32. इस अनुरोध के संबंध में कि पीसीएन उत्पाद के अनुप्रयोग पर आधारित होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन लागत उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न नहीं होती है क्योंकि उसी उत्पाद का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पीसीएन के लिए ऐसे मापदंड पर विचार नहीं किया है।
33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत 13% से अधिक और 13% से कम राख की मात्रा के आधार पर भिन्न होती है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य दिए हैं कि उत्पादन लागत 13% से कम विभिन्न राख की मात्रा के आधार पर काफी भिन्न नहीं होती है और भिन्नता केवल 13% से अधिक और 13% से कम राख की मात्रा के बीच मौजूद है। तदनुसार, इसे इस जांच के लिए पीसीएन मापदंड के अनुसार माना गया है।
34. कोक के आकार के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने उत्पादन लागत में अंतर दिखाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया है। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 10 एमएम से कम, 10-30 एमएम और 30 एमएम से ज्यादा साइज़ वाले कोक के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाए जाने चाहिए, आकार के आधार पर उत्पादन लागत में परिवर्तन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि 10 एमएम से कम और 10 एमएम से ज्यादा साइज़ वाले मेट कोक की उत्पादन लागत में काफी अंतर है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 10-20 एमएम और 30 एमएम से ज्यादा आकार के बीच लागत अंतर पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने 10 एमएम तक और 10 एमएम से ज्यादा आकार के आधार पर पीसीएन पर विचार किया है।
35. इस जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया है।

पीसीएन मानदंड	मापदंड	कोड विवरण	कोड चिह्न
राख सामग्री	कम राख	13% से कम	एलए
	मध्यम राख	13% से ज्यादा	एमए
आकार	कोक फाइन/ब्रीज़	आकार 10 एमएम तक	सीएफ
	अन्य	आकार 10 एमएम से ज्यादा	ओटी

#### घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

##### घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- i. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में यह तय करने के लिए कोई उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण नहीं है कि क्या यह मामला बिखरने हुए उद्योग वाला मामला है। व्यापार सूचना 09/2021 के तहत आवेदन-पत्र दायर करने के लिए यह निर्धारण पूर्वापेक्षित है।
- ii. प्राधिकारी ने न तो यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विश्लेषण के लिए माने गए 8 घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया गया है और न ही भविष्य नमूनाकरण करने का आशय स्पष्ट किया गया है।
- iii. 8 नमूनाकृत उत्पादकों को प्रपत्र VI-1 से VI-5 देना चाहिए था।
- iv. 8 उत्पादक व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार सूचना देने में विफल रहे हैं।
- v. जबकि आवेदक ने जिंदल कोक लिमिटेड को विचाराधीन उत्पाद का आयातक बताया था, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में यह उल्लेख किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद को भारत में आयात नहीं किया है।

## घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

- i. यह आवेदन-पत्र इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया है। एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने इस जांच के उद्देश्य से आंकड़े प्रदान किए हैं।
  1. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
  2. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड,
  3. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
  4. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड,
  5. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
  6. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
  7. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड
- ii. भारत में, मेट कोक या तो स्टील के निर्माण में एक मध्यवर्ती के रूप में उत्पादित होता है या बाजार में उत्पादन और बिक्री के लिए एक उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है या आंशिक रूप से बिक्री के लिए और आंशिक रूप से भीतरी खपत के लिए उत्पादित होता है।
- iii. इस उत्पाद के कम से कम 17 उत्पादक हैं जो कैप्टिव रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं। कैप्टिव उपयोग के लिए मेट कोक का उत्पादन करने वाले स्टील निर्माताओं को इस जांच के उद्देश्य से नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उत्पाद के उपभोक्ता हैं, वे मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में नहीं पहचानते हैं, वे व्यापारिक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, मेट कोक उनके लिए एक कच्चा माल है न कि बिक्री के लिए एक उत्पाद और वे मर्चेंट बाजार की स्थिति से अलग हैं।
- iv. स्टील निर्माता अपनी वेबसाइट पर मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं करते हैं।
- v. कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि भारत में संबद्ध सामानों के आयात पर पिछली जांचों में किया गया था। पिग आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में अधिकरण ने प्राधिकारी द्वारा जारी निष्कर्षों को बरकरार रखा और कहा कि जो स्टील उत्पादक कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन करते हैं, उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

- vi. घरेलू उद्योग ने सभी घरेलू उत्पादकों को उनकी क्षमता, उत्पादन और बिक्री की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा है। चूंकि संबद्ध सामान के भारतीय उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों को सत्यापित करने के लिए घरेलू उत्पादकों से संपर्क कर सकते हैं।
- vii. कई उत्पादकों ने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के बाद समर्थन पत्र दायर किए हैं।
- viii. श्री इलेक्ट्रोमैल्ट्स लिमिटेड और बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।
- ix. आवेदन-पत्र दायर करने के बाद, जिंदल कोक लिमिटेड ने विस्तृत क्षति संबंधी आंकड़े दायर किए हैं और घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने का अनुरोध किया है।
- x. आवेदक घरेलू उत्पादकों में से कोई भी संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के निर्यातक या भारत में संबद्ध सामान के आयातों से संबद्ध नहीं है।
- xi. जांच शुरू होने के बाद, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने विस्तृत क्षति संबंधी आंकड़े दायर किए हैं और अनुरोध किया है कि उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाए।
- xii. आवेदक घरेलू उत्पादकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इसलिए, नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है।

### घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

‘(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

*बशर्ते कि नियम 11 के उप नियम (3) में उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में, प्रश्नगत वस्तु से संबंधित घरेलू उद्योग दो या उससे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों और पृथक उद्योग के रूप में ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों से युक्त माना जाएगा, यदि*

*(i) ऐसे बाजार में उत्पादक उस बाजार में प्रश्नगत वस्तु के अपने सभी या लगभग अपने सभी उत्पादन की बिक्री करते हैं; और*

*(ii) बाजार में मांग उस क्षेत्र में अन्यत्र स्थित उपर्युक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा काफी मात्रा में कोई आपूर्ति नहीं है;”*

39. मौजूदा जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (“आईएमसीओएम”) ने व्यापार सूचना 09/2021 के तहत घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया है। आवेदक एसोसिएशन के इन सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार क्षति के आंकड़े दिए हैं।

1. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
2. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
3. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
4. जिंदल कोक लिमिटेड

5. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
  6. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
  7. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
  8. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
  9. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में, मेट कोक या तो स्टील बनाने की प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में बनाया जाता है या व्यापारिक बाजार में बेचा जाता है या आंशिक रूप से बिक्री के लिए और आंशिक रूप से अपनी कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित जाता है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि मेट कोक का कैप्टिव रूप से उत्पादन करने वाले इस उत्पाद के कम से कम 17 उत्पादक हैं। तथापि इन उत्पादकों को निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए मेट कोक के उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए।
1. स्टील बनाने के हिस्से के रूप में मेट कोक बनाने वाले उत्पादक इसे एक उत्पाद के रूप में नहीं पहचानते हैं।
  2. यह इन उत्पादकों को स्टील के उत्पादन के लिए ज़रूरी एक इनपुट है और ऐसी उत्पादन प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती है।
  3. स्टील उत्पादकों की वेबसाइटें मेट कोक को "उत्पाद" के रूप में नहीं बताती हैं।
  4. स्टील मैनुफैक्चरर्स मेट कोक मार्केट में न तो आयातकों के साथ और न ही घरेलू उत्पादकों के साथ मुकाबला करते हैं।
  5. कैप्टिव उत्पादक मेट कोक बाजार में बाजार स्थितियों से संचालित होते हैं।
  6. स्टील मैनुफैक्चरर्स असल में इस सामान के मैनुफैक्चरर के बजाय उपभोक्ता हैं।
  7. मेट कोक इन उत्पादकों के लिए एक कच्चा माल है, न कि बिक्री के लिए बनाया गया उत्पाद।
41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में, विचाराधीन उत्पाद के लिए दो प्रतिस्पर्धी बाजार हैं। मार्केट के पहले सेट में संबद्ध सामानों के कैप्टिव उत्पादक शामिल हैं जो इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया के भाग के रूप में मेट कोक का उत्पादन करते हैं। यह नोट किया जाता है कि ये विनिर्माता घरेलू व्यापारिक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि वे आमतौर पर बाजार में मेट कोक नहीं बेचते हैं। ऐसे उत्पादकों के लिए, मेट कोक इस्पात के उत्पाद के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है और ऐसे विनिर्माता असल में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता हैं। इनमें से कुछ विनिर्माता व्यापारिक बाजार से कोक खरीदते भी हैं या इसे भारत में आयात करते हैं। दूसरा बाजार उन विनिर्माताओं का है जिनका अंतिम उत्पाद मेट कोक है। ये उत्पादक व्यापारिक बाजार में बेचने के लिए संबद्ध सामान का विनिर्माण करते हैं। ऐसे उत्पादक व्यापारिक बाजार में आपस में और साथ ही भारत में होने वाले आयात के साथ भी प्रतियोगिता करते हैं। इस जांच के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने इन्हें अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार माना है और ऐसे हर बाजार के अंदर के उत्पादक एक अलग उद्योग हैं। तदनुसार, कैप्टिव उत्पादकों के उत्पादन पर वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग परिभाषित करने के उद्देश्य से कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।
42. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने व्यापारिक बाजार और कैप्टिव बाजार को अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार माना है और इन बाजारों में से हर एक के अंदर के उत्पादकों को अलग उद्योग माना है। अधिकरण ने, पिग आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों को सही ठहराया और कहा कि इस्पात उत्पादक एक अलग बाजार वाले हैं।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामान के आयात की इस पाटनरोधी जांच को शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर करते समय, आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-1 के अनुसार आंकड़े दिए हैं।
1. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
  2. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
  3. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
  4. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
  5. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
  6. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
  7. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड
44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर बताए गए किसी भी आवेदक घरेलू उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामान को भारत में आयात नहीं किया है। इसके अलावा, ये उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।
45. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, और इसलिए, उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
1. श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
  2. श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
  3. मदर्सन कंसोलिडेट
  4. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
  5. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
  6. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी
  7. जिंदल कोक लिमिटेड
  8. वीज़ा कोक लिमिटेड
46. प्राधिकारी ने मौजूदा जांच शुरू करने से पहले भारत में सभी घरेलू उत्पादकों को 25 मार्च 2025 को पत्र जारी किए, जिसमें उनसे उनकी क्षमता, उत्पादन, बिक्री, कैप्टिव खपत और क्षति की अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा किए गए आयात के बारे में सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने यह भी सूचना मांगी कि क्या उत्पादक जांच शुरू करने के लिए दायर आवेदन-पत्र का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं या तटस्थ हैं। निम्नलिखित उत्पादकों ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया और समर्थन पत्र दायर किए।
1. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
  2. कार्बन एज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  3. कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज
  4. हर्ष फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
  5. जिंदल कोक लिमिटेड
  6. नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड
  7. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड
  8. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड
  9. तिरुपति ट्रेडर्स

10. तमिलनाडु कोक एंड पावर लिमिटेड
  11. उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
  12. वराह वेंचर्स (पहले गिरधारी कोक के नाम से जाना जाता था)
47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू होने से पहले, जिंदल कोक लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार आंकड़े दिए हैं और प्राधिकारी से इसे घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने का अनुरोध किया है। चूंकि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के अनुसार पूरे आंकड़े प्रदान किए गए हैं, इसलिए प्राधिकारी ने इसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है। जिंदल कोक लिमिटेड ने आगे स्पष्ट किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है।
48. जांच शुरू होने के बाद, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार आंकड़े दायर किए हैं और अनुरोध किया है कि इसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामान का आयात किया है। उत्पादक ने बताया है कि उसने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से केवल एक बैसल का आयात किया था और वह विचाराधीन उत्पाद का नियमित आयातक नहीं है। इसके अलावा, आयातित उत्पाद की कैप्टिव रूप से खपत की गई है और घरेलू बाजार में बेचा नहीं गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड का आयात, संबद्ध आयात, भारत में घरेलू उत्पादन और भारत में मांग की तुलना में बहुत कम है। बंगाल एनर्जी का संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयात से कोई संबंध नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस जांच के लिए बंगाल एनर्जी लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आयात	एमटी	***
संबद्ध आयात	एमटी	31,29,282
घरेलू उत्पादन	एमटी	23,85,833
मांग	एमटी	62,87,216
के संबंध में आयात		
संबद्ध आयात	%	<2%
घरेलू उत्पादन	%	<2%
मांग	%	<1%

49. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।

क्र.सं.	उत्पादक	उत्पादन	आयात	उत्पादन के संबंध में आयात
1.	बंगाल एनर्जी लिमिटेड	***	***	5-15%
2.	महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	***	***	70-80%
3.	महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी	***	***	150-160%

4.	मदरसन कंसोलिडेट	***	***	5-15%
5.	श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	50-60%
6.	श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड	***	***	15-25%
7.	श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	***	***	0-10%
8.	बीजा कोक लिमिटेड	***	***	20-30%

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि बंगाल एनर्जी लिमिटेड, मदरसन कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का आयात उनके उत्पादन, भारत में कुल उत्पादन और भारत में मांग के मुकाबले ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन उत्पादकों को इस जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए पात्र माना गया है।
51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने वाले घरेलू उत्पादकों का भारत के कुल पात्र भारतीय उत्पादन का 72% हैं और समर्थकों का कुल पात्र घरेलू उत्पादन में 85% हिस्सा हैं। चूंकि घरेलू उत्पादकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात हैं, अतः प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि उपर्युक्त घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।
52. प्राधिकारी ने इस जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है। सबसे ज़्यादा उत्पादन मात्रा के आधार पर इन तीन घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया गया है। इन उत्पादकों ने इस जांच के लिए व्यापार सूचना 05/2021 में बताई गई सभी संगत सूचना दी है।

क. बंगाल एनर्जी लिमिटेड

ख. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड)

ग. जिंदल कोक लिमिटेड

#### ड. गोपनीयता

##### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध करने के बावजूद आवेदक ने लेन-देनवार आयात आंकड़े नहीं दिए हैं।
- व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अनुबंध II में कुछ अपेक्षाएं निर्धारित हैं, जिनमें से एक इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्यों की पूरी सूची है। इस सूची का अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया है।
- आवेदक ने सामान्य मूल्य की गणना को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है और इसके लिए कोई अगोपनीय सारांश नहीं दिया है। इस तरह, अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुत सूचना की सटीकता को सत्यापित करने में सक्षम नहीं रहे हैं।
- जबकि आवेदक ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक आयातक है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। अगर आवेदक ने कोई स्पष्टीकरण दिया था, तो उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था।

- v. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, क्षतिरहित कीमत के लिए गणना भी नहीं दी गई है।

## ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं।

- i. कई विदेशी उत्पादकों ने उन व्यापारियों और निर्यातकों के नामों का दावा किया है जिन्होंने भारत को अपने निर्यातित उत्पाद गोपनीय बताया है।
- ii. कई उत्पादकों/निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने वितरण और विपणन चैनल तथा संबद्ध कंपनियों के संबंध में विवरण, समायोजन के रूप में दावा किए गए खर्चों की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया और कच्ची सामग्री के नाम प्रकट नहीं किए हैं।
- iii. उत्पाद कैटलॉग और ब्रोशर के साथ-साथ बेचे गए उत्पादों की सूची जो ग्राहकों के साथ नियमित रूप से साझा की जाती है, उसे गोपनीय बताया गया है।
- iv. कई पक्षकारों ने व्यापार सूचना 01/2013 के अनुसार गोपनीयता का औचित्य नहीं बताया है।
- v. कई उत्पादकों और निर्यातकों ने कंपनी संबद्धता, शेयरधारिता और उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादकों के नाम गोपनीय होने का दावा किया है।
- vi. बीजक के बाद छूट के ब्यौरे और प्रकृति गोपनीय होने का दावा किया गया है।
- vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षा का पालन नहीं किया है।

## ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

55. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत निम्नलिखित प्रावधान है:

*“7. गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”*

56. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी ज़रूरी था, गोपनीय दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करें।

57. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय सारांश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
58. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने लेनदेन-वार आयात आंकड़े साझा नहीं किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए बाजार आसूचना पर भरोसा किया है। इसका एक अगोपनीय सार सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। किसी भी मामले में, लेन-देनवार सूचना साझा न करके किसी भी हितबद्ध पक्षकार के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है क्योंकि प्राधिकारी डीजी आंकड़ों पर विश्वास किया है, न कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर।
59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एसोसिएशन के सदस्यों की सूची का अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उचित तुलना के लिए वितरण चैनल और उचित तुलना के लिए दावा किए गए समायोजन नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्राधिकारी ने 24 अक्टूबर 2025 को ईमेल के माध्यम से घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को उक्त सूचना का खुलासा करने का निर्देश दिया है।
60. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पीवीआईटी के वास्तविक आंकड़ों और सामान्य मूल्य गणना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। चूंकि उत्पादन लागत कॉन्फिडेंशियल व्यावसायिक स्वामित्व की सूचना है, इसलिए इसे गोपनीय माना गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता से संबद्ध सूचना गोपनीय व्यावसायिक स्वामित्व सूचना है, जिसका प्रकटन करने से प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और प्रयोक्ताओं को कीमतों पर बातचीत करने में बढत मिलेगी और इसलिए, इसे गोपनीय माना गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।
61. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने वह स्पष्टीकरण साझा नहीं किया है जिसके आधार पर प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने भारत में संबद्ध सामान आयात नहीं किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड ने याचिका दायर करने के बाद इस जांच में समर्थन-पत्र दायर किया है। इस पत्र का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है। जिंदल कोक लिमिटेड ने कहा है कि उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद आयात नहीं किया है।

## च. विविध अनुरोध

### च. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

62. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नीचे विविध अनुरोध किए हैं:
  - i. दायर की गई याचिका अधूरी है क्योंकि इसमें क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन, प्रपत्र VI-1 से VI-5, हर उत्पादक के लिए अनुबंध I और साथ ही पीवीआईटी के वास्तविक आंकड़े शामिल नहीं हैं।
  - ii. मौजूदा जांच में प्राथमिक जांच परिणामों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने नकद लाभ कमाया है जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्थिति को नहीं दिखाता है। मौजूदा जांच शुरू होने के बाद आयात बढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं है।
  - iii. प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार, अगर पाटित आयातों के बढ़ने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए 'तुरंत ज़रूरत' होती है, तो अनंतिम शुल्क पर विचार किया जा सकता है।
  - iv. रक्षोपाय जांच और पाटनरोधी जांच के बीच क्षति की अवधि का अति-व्यापन है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को लागू मात्रात्मक प्रतिबंधों से हल किया जाएगा।

- v. मौजूदा जांच शुरू करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि आवेदकों ने पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू करने की शर्त को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है।
- vi. आवेदक व्यापार उपचारात्मक प्रक्रिया का अनुचित लाभ ले रहा है। विचाराधीन उत्पाद वर्तमान में रक्षोपाय उपायों के अध्यधीन है और पहले पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था।

## च. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

63. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. आयात की कीमतें जांच की अवधि के बाद भी, खासकर इंडोनेशिया से, लगातार गिर रही हैं।
- ii. अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की ज़रूरत है क्योंकि जांच की अवधि के बाद कीमतों में गिरावट से भारतीय उद्योग को काफी क्षति हुई है।

## च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

64. इस तर्क के संबंध में कि दायर किया गया आवेदन-पत्र अधूरा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र भारत में घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया है। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के रूप में आंकड़े दिए हैं। व्यापार सूचना की अपेक्षाओं के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों को प्रपत्र VI-1 से VI-5 के रूप में विस्तृत सूचना दायर करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने मौजूदा जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है और नमूनाकृत उत्पादकों ने विस्तृत प्रपत्र VI-1 से VI-5 दायर किए हैं। दायर किए गए विस्तृत प्रपत्रों के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है।
65. प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई औचित्य नहीं लगता कि वर्तमान जांच बिना किसी आधार के शुरू की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दायर किए गए आवेदन-पत्र में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का कोई प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के संबंध में जांच करने और उनसे संतुष्ट होने के बाद ही प्राधिकारी ने यह जांच शुरू की।
66. इस अनुरोध के संबंध में कि अनंतिम शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां, नकद हानियां हुई हैं और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद भी आयात की कीमत कम हो गई है, जिससे घरेलू उद्योग को और भी ज़्यादा क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के उपचार की तत्काल आवश्यकता है।
67. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का अनुचित लाभ ले रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में संबद्ध सामान पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन रहे हैं। प्राधिकारी ने यह जांच करने और तय करने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी कि संबद्ध देशों के उत्पादक भारत में संबद्ध सामान का पाटन कर रहे थे, जिसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई। प्रत्येक जांच परिणाम में प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आए कि निर्यातक पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटी में लगे हुए हैं। तदनुसार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय की सिफारिश यह निष्कर्ष निकालने के बाद की गई थी कि आयात इतनी मात्रा में बढ़े कि उनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई।
68. इस तर्क के बारे में कि मौजूदा जांच की क्षति की अवधि रक्षोपाय जांच की क्षति की अवधि के साथ अतिव्यापन करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच में जांच की अवधि अक्टूबर 2023 – सितंबर 2024 है। रक्षोपाय जांच में सबसे हाल की अवधि अप्रैल 2022 – मार्च 2023 थी। मौजूदा जांच में घरेलू उद्योग का निष्पादन रक्षोपाय जांच में घरेलू उद्योग के निष्पादन से कहीं ज़्यादा खराब है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने

केवल जांच की अवधि के लिए पाटन निर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में, अवधि का अतिव्यापन वर्तमान जांच के औचित्य में परिवर्तन नहीं लाता।

## छ. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

### छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

69. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. आवेदक यह पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि सामान्य मूल्य की गणना करना उचित था।

### छ. 2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

70. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ii. आवेदक के पास किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत तक पहुँच नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। भारत में आयात पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि माल का बड़ा हिस्सा भारत में पाटित किया जा रहा है। पोलैंड के अलावा अन्य आयात नगण्य हैं और इसलिए, उनका उपयोग सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है।
- iii. पोलैंड से अधिकांश आयात आर्सेलरमिस्सल निप्पाँन स्टील इंडिया द्वारा दीर्घकालिक समझौते के तहत किया जाता है। इसलिए, ऐसी कीमत प्रभावित होती है और मांग-आपूर्ति सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद कई अलग-अलग संहिताओं के तहत आयात किया गया है और इसलिए, ऐसे देशों से अन्य देशों को निर्यात पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- iv. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय मूल्य पर निर्धारित किया गया है, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।
- v. चूंकि अन्य देशों के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूची या वाणिज्यिक चालान आवेदक के पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सामान्य मूल्य वैकल्पिक आधार पर निर्धारित किया गया है।
- vi. निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय मालभाड़ा, ऋण लागत और माल ढुलाई लागत के संबंध में समायोजन किए गए हैं।
- vii. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

### छ. 3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

71. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की

स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;
- (ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

- i. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड
- ii. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग
- iii. हांगकांग जिन्टेंग डेवलपमेंट लिमिटेड
- iv. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन, जापान
- v. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
- vi. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया
- vii. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया
- viii. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया
- ix. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड
- x. रिसुन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (जापान)
- xi. रिसुन वेई शान इंजीनियरिंग (हैनान) लिमिटेड, चीन

#### 1. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया

73. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया (पीटी डेटियन) ने जांच अवधि के दौरान भारत को सीधे विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मीट्रिक टन निर्यात करने का दावा किया है।
74. प्राधिकारी ने 30 जुलाई 2025 के ईमेल के माध्यम से उत्पादक से पूरक जानकारी मांगी और 11 अगस्त 2025 तक का समय दिया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक प्रतिक्रिया दी और 18 सितंबर 2025 को उसे पूरक किया। अपने पूरक में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल के बारे में पूछताछ की और यह भी पूछा कि क्या चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने प्रतिक्रिया दी है। उत्पादक ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने प्रतिक्रिया दी है या नहीं। इसके अलावा, उत्पादक ने घोषणा की कि उसने केवल भारत को सीधे निर्यात किया है।
75. इसके बाद प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को कुछ और प्रश्न पूछे, जिसमें नमूना चालान सहित अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। प्राधिकारी ने प्रस्तुत चालान और परिशिष्ट 3ए में दिए गए ग्राहक विवरण की जाँच की। जानकारी के अवलोकन पर, प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को पीटी डेटियन ने बेचा है, वे भारतीय संस्थाएँ

नहीं हैं। इसके विपरीत, उपलब्ध कराए गए नमूना चालान और डीजी सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि बताए गए ग्राहक वास्तव में \*\*\* में स्थित हैं।

76. इससे पता चलता है कि पीटी डेटियन ने घोषित रूप से संबद्ध वस्तुओं का भारत को सीधे निर्यात नहीं किया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भारत को निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए वितरण का पूरा चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे जिनमें सलाह दी गई थी कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, निर्यातक को भाग-I और भाग-II के साथ-साथ परिशिष्ट 5 का उत्तर प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के बजाय, उत्पादक ने गलत घोषणा की है कि उसने केवल सीधे भारत को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछे जाने पर भी, उत्पादक ने प्राधिकारी के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।
77. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से पाते हैं कि पीटी डेटियन द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, भारत को निर्यात करने वाले \*\*\*% व्यापारियों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए अस्थायी रूप से कोई अलग शुल्क दर निर्धारित नहीं की है।

## 2. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया

78. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया ("पीटी किनरुई") ने दावा किया है कि उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें से \*\*\* मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। इसके अलावा, उत्पादक ने संबंधित व्यापारी, \*\*\* को भी संबंधित वस्तुएँ बेची हैं, जिसने अंततः संबंधित वस्तुएँ भारत को निर्यात की हैं।

पीटी किनरुई → भारत में असंबंधित ग्राहक

पीटी किनरुई → \*\*\* → भारत में असंबंधित ग्राहक

79. प्राधिकारी ने 30 जुलाई 2025 के ईमेल के माध्यम से उत्पादक से पूरक जानकारी मांगी और 11 अगस्त 2025 तक का समय दिया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक उत्तर दिया और 18 सितंबर 2025 को उसे पूरक किया। अपने पूरक में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल के बारे में पूछताछ की और यह भी पूछा कि क्या चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने उत्तर दिया है। उत्पादक ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने उत्तर दिया है या नहीं। इसके अलावा, उत्पादक ने दोहराया कि उसने उपरोक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था।
80. इसके बाद, प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त जानकारी मांगते हुए कुछ प्रश्न पूछे। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, प्रस्तुत बीजक और परिशिष्ट 3क में दिए गए ग्राहक विवरण की जांच की। सूचना के अवलोकन पर, प्राधिकारी ने पाया कि पीटी डेटियन ने जिन ग्राहकों को उत्पाद बेचे हैं, उनमें से कई भारतीय संस्थाएँ नहीं हैं। इसके विपरीत, उपलब्ध कराए गए नमूना चालान और डीजी सिस्टम्स के आँकड़े दर्शाते हैं कि बताए गए कई ग्राहक वास्तव में \*\*\* और \*\*\* जैसे अन्य देशों में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को किए जाने वाले निर्यात में ऐसे व्यापारियों की हिस्सेदारी \*\*\*% से अधिक है।
81. इससे पता चलता है कि पीटी किनरुई ने न केवल घोषित रूप से, बल्कि सीधे और संबंधित व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद का निर्यात व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी भारत को किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए वितरण का पूरा चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रश्नावली में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे, जिसमें

सलाह दी गई थी कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, निर्यातक को भाग-I और भाग-II के साथ-साथ परिशिष्ट 5 का उत्तर भी प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के बजाय, उत्पादक ने गलत घोषणा की है कि उसने केवल सीधे और संबंधित निर्यातक के माध्यम से ही भारत को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ करने पर भी, उत्पादक ने प्राधिकारी के समक्ष सही और पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। इससे उत्पादक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

82. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते हैं कि पीटी किनरुई द्वारा प्रस्तुत उत्तर, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, भारत को महत्वपूर्ण निर्यात करने वाले व्यापारियों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उत्पादक के लिए एक अलग शुल्क दर की अनुमति नहीं दी है।

### 3. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया

83. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया ("रिसुन वेई शान") द्वारा दायर प्रतिक्रिया के अनुसार, उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मीट्रिक टन निर्यात किया है। उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का सीधे भारत को निर्यात नहीं किया है। संबंधित वस्तुओं को भारत में निर्यात के लिए संबंधित संस्थाओं, अर्थात् \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* को बेचा गया है। \*\*\* ने संबंधित वस्तुओं को आगे असंबंधित व्यापारी, अर्थात् \*\*\* को बेचा, जिसने आगे \*\*\* को बेचा। रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का अंतिम निर्यातक रिसुन एचके है।

रिसुन वेई शान → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

रिसुन वेई शान → \*\*\* → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

रिसुन वेई शान → \*\*\* → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

रिसुन वेई शान → \*\*\* → \*\*\* → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

84. प्राधिकारी ने 30 जुलाई 2025 के ईमेल के माध्यम से उत्पादक से पूरक जानकारी मांगी और 11 अगस्त 2025 तक का समय दिया। अपने पूरक में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल के बारे में पूछताछ की और यह भी पूछा कि क्या चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने कोई प्रतिक्रिया दी है। उत्पादक ने स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं। इसके अलावा, उत्पादक ने अपने इस दावे को दोहराया कि उसने उपरोक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को निर्यात किया था। इसके बाद प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त जानकारी मांगते हुए कुछ और प्रश्न पूछे। इसलिए, उत्पादक के अनुसार, भारत में सभी निर्यात रिसुन एचके के माध्यम से, भारत में असंबंधित ग्राहकों को किए गए हैं।
85. प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी और परिशिष्ट 3क में दिए गए ग्राहक विवरण की जाँच की और उसकी तुलना डीजी सिस्टम्स के आँकड़ों से की। सूचना के अवलोकन पर, प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को रिसुन एचके ने उत्पाद बेचे हैं, उनमें से कई भारतीय संस्थाएँ नहीं हैं। इसके विपरीत, डीजी सिस्टम्स के आँकड़े दर्शाते हैं कि बताए गए कई ग्राहक वास्तव में \*\*\*, \*\*\* और \*\*\* अरब अमीरात जैसे अन्य देशों में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को किए जाने वाले निर्यात में ऐसे व्यापारियों की हिस्सेदारी \*\*\*% से अधिक है।
86. इससे पता चलता है कि रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित माल न केवल रिसुन एचके के माध्यम से सीधे भारत में ग्राहकों को निर्यात किया गया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी भारत को निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए वितरण का पूरा चैनल प्राधिकारी के समक्ष नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक

के माध्यम से किया जाता है, निर्यातक को भाग-I और भाग-II के साथ-साथ परिशिष्ट 5 का उत्तर अवश्य देना होगा। आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बजाय, उत्पादक ने यह दावा करने के लिए अपने वितरण चैनल की गलत घोषणा की है कि रिसुन एचके ने भारत में ग्राहक को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ करने पर भी, उत्पादक और उसके संबंधितों ने प्राधिकारी के समक्ष सही और पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

87. यह भी नोट किया गया है कि परिशिष्ट 3क में, रिसुन एचके ने ग्राहकों के पूरे नाम नहीं दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहचानकर्ता, जो प्राधिकारी को यह पहचानने की अनुमति देते कि ग्राहक भारत में स्थित नहीं हैं, जैसे "\*\*\*\*", "\*\*\*\*", "\*\*\*\*" और "\*\*\*\*" को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए, \*\*\* स्थित "\*\*\*\*" को बिक्री के लिए, "\*\*\*\*" लिखा गया है। इसी प्रकार, \*\*\* स्थित "\*\*\*\*" को की गई बिक्री को "\*\*\*\*" को की गई बिक्री के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इससे उत्पादक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता पर संदेह होता है।
88. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते हैं कि रिसुन वेई शान द्वारा प्रस्तुत उत्तर, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात करने वाले \*\*\*% से अधिक व्यापारियों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से उत्पादक के लिए एक अलग शुल्क दर की अनुमति नहीं देते हैं।

#### 4. ब्लूस्कोप लिमिटेड

89. ब्लूस्कोप लिमिटेड (ब्लूस्कोप) द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, उसने भारत को \*\*\* मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें से \*\*\* मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। शेष निर्यात दो व्यापारियों, \*\*\* और \*\*\* के माध्यम से किया गया है।

ब्लूस्कोप → भारत में असंबंधित ग्राहक

ब्लूस्कोप → \*\*\*

ब्लूस्कोप → \*\*\*

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्लूस्कोप लिमिटेड ने असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा, जो कुल मात्रा का लगभग \*\*\* है, का निर्यात किया है। असंबंधित व्यापारियों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके वर्तमान जाँच में सहयोग नहीं किया है। चूँकि भारत को किए गए महत्वपूर्ण निर्यातों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी अनंतिम रूप से पाते हैं कि उत्पादक को अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

#### 5. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन

91. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, उसने विचाराधीन उत्पाद का \*\*\* मीट्रिक टन सीधे और अपने संबंधित व्यापारियों, अर्थात् \*\*\* के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। बदले में, \*\*\* ने विचाराधीन उत्पाद को सीधे और एक संबंधित पक्ष, \*\*\* के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। \*\*\* ने इसे आगे असंबंधित व्यापारी को पुनर्विक्रय किया, जिसने बदले में भारत को निर्यात किया।

मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन → \*\*\* → भारत में असंबंधित ग्राहक

मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन → \*\*\* → \*\*\* → भारत में असंबंधित ग्राहक

92. यद्यपि \*\*\* ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है, \*\*\* ने कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की है और वर्तमान जाँच में सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि \*\*\*% निर्यात \*\*\* द्वारा किया गया है, जो वर्तमान जाँच में भाग लेने में विफल रहा है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि \*\*\* ने अपने उत्तर में मित्सुबिशी आरटीएम

कॉर्पोरेशन की पुनर्विक्रय जानकारी प्रस्तुत की है। हालाँकि, यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी को संबंधित व्यापारी द्वारा भाग I और भाग II में अतिरिक्त जानकारी, जिसमें परिशिष्ट 5 भी शामिल है, प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है। प्राधिकारी के निर्देश स्पष्ट हैं कि "पीयूसी के निर्यात में शामिल किसी भी अन्य गैर-उत्पादक संबंधित इकाई को परिशिष्ट-5 के साथ भाग I और भाग II में उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है।" इसके अलावा, \*\*\* ने बदले में उत्पाद को एक असंबंधित व्यापारिक इकाई को बेच दिया है, और भारत को सीधे निर्यात नहीं किया है। ऐसे असंबंधित व्यापारी ने भी प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। संबंधित पक्ष और अन्य व्यापारी द्वारा, आवश्यकतानुसार, पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने में विफलता के मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाता है कि उत्पादक को अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

## 6. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

### ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य

93. ब्लूस्कोप लिमिटेड को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्लूस्कोप लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों को जोड़कर, ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

### ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात कीमत

94. ऑस्ट्रेलिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

### चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

95. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयाँ हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहाँ व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

96. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी जानकारी बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

97. वर्तमान मामले में, चीन के किसी भी उत्पादक ने कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करके जाँच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहाँ उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जाँच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जाँच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

98. आवेदक ने दावा किया है कि किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आयात विभिन्न संहिताओं के अंतर्गत आते हैं। भारत में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका भारत में पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार, आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण

भारत में देय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 में सूचीबद्ध आधारों के अलावा कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके। अतः, प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित, भारत में देय मूल्य के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

#### **चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत**

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चीन जन.गण. के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### **कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य**

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। कोलंबिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल करके विधिवत समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

#### **कोलंबिया के लिए निर्यात मूल्य**

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। कोलंबिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### **इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य**

102. पीटी डेटियन, पीटी किनरुई और रिसुन वेई शान को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त तीनों उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं पर व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को जोड़कर, इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

#### **इंडोनेशिया के लिए निर्यात मूल्य**

103. इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

#### **जापान के लिए सामान्य मूल्य**

104. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया पर व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर जापान के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

#### **जापान के लिए निर्यात मूल्य**

105. जापान के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

**रूस के लिए सामान्य मूल्य**

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। रूस में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर रूस के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

**रूस के लिए निर्यात कीमत**

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। रूस के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

**छ.4. पाटन मार्जिन**

108. ऊपर दिए गए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबंधित देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन

क्र.सं.	उद्गम का देश	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अम.डॉ./ मी.ट.)	(अम.डॉ./ मी.ट.)	(अम.डॉ./ मी.ट.)	(%)	(Range)
क	आस्ट्रेलिया	***	***	***	***	15-25%
ख	चीन जन.गण.	***	***	***	***	55-65%
ग	कोलंबिया	***	***	***	***	30-40%
घ	इंडोनेशिया	***	***	***	***	30-40%
ड.	जापान	***	***	***	***	50-60%
च	रूस	***	***	***	***	55-65%

**ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध****ज.1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- जापान से आयातों का अन्य संबद्ध देशों, विशेष रूप से चीन और इंडोनेशिया के साथ संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान जापान से आयातों में गिरावट आई है, यह अन्य संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में बहुत कम है और इसकी कीमतें अधिक हैं।
- चूंकि निप्पॉन कोक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हैं और तकनीकी या व्यावसायिक दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित या अन्य संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते हैं, अतः जापान से आयातों का संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।

- iii. जबकि क्षमता, बिक्रियों की मात्रा और मूल्य में वृद्धि हुई है, अतः निर्यात बिक्रियों में गिरावट आई है। लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग के निर्यातों में गिरावट आने के कारण है।
- iv. क्षति अवधि के दौरान क्षमताओं में विस्तार होने के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- v. चूंकि आयातों की मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ घरेलू बिक्रियों और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, अतः संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।
- vi. अधिकतर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें बिक्री लागत के अनुरूप रही हैं। अतः, यह संबद्ध देशों से आयात होने के कारण किसी कीमत क्षति के अभाव को दर्शाता है।
- vii. भारत में आयात की कीमतें विचाराधीन उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर हैं।
- viii. आवेदक ने क्षति अवधि के पहले के तीन वर्षों के लिए कीमतों में कटौती होने के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।
- ix. घरेलू उद्योग को कोई भी वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है।
- x. जिंदल कोक लिमिटेड ने महत्वपूर्ण लाभ मार्जिन और बेहतर क्षमता उपयोग होने के बारे में सूचित किया है।
- xi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की अपस्ट्रीम वेल्यू चेन में कीमतों में उतार-चढ़ाव आने के कारण से है।
- xii. घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रकों के माध्यम से की जाती है जबकि आयात थोक शिपमेंट में आते हैं, अतः घरेलू आपूर्ति के समक्ष कतिपय चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं और घरेलू उद्योग को क्षति होती है।
- xiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आने का कारण क्षमता में विस्तार होना हो सकता है जिसके चलते क्षति अवधि के दौरान मूल्यहास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है।
- xiv. भाटिया कोक एंड एनर्जी पर बैंकों के एक संघ को करीब 125.9 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान न कर पाने के चलते क्षति अवधि के दौरान दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है।
- xv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उनकी अपनी अक्षमताओं के कारण है, न कि संबद्ध देशों से आयात होने के कारण से है।
- xvi. घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति हुई भी है, तो वह जापान के अलावा अन्य देशों से आयातों के कारण से है।
- xvii. घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण एमएफएन शुल्क दरों में कमी और इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एफटीए में टैरिफ उदारीकरण होना है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल ऐसे देशों से आयातों के कारण से है।
- xviii. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत और क्षति के दावों का आकलन करते समय उच्च मूल्यहास और ब्याज लागत को समायोजित किया जाना चाहिए।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्तमान मामले में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उचित है क्योंकि संचयन की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं।

- ii. क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में निरपेक्ष संदर्भ में और साथ ही भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में वृद्धि हुई है।
- iii. भारत में होने वाले आयातों में अधिकांश हिस्सा संबद्ध आयातों का है।
- iv. संबद्ध आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही हैं।
- v. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री की कीमत और बिक्री की लागत से कम है।
- vi. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन बिक्री की कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई है। इस प्रकार से, संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव आया है।
- vii. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, फिर भी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है।
- viii. देश में घरेलू उद्योग के लिए अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए पर्याप्त मांग है, फिर भी घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है।
- ix. संबद्ध देशों से आयातों की मांग में बाजार की हिस्सेदारी का आधा हिस्सा है। क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों में भी गिरावट आई है।
- x. यहां तक कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया है और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नुकसान पर की है, लेकिन फिर भी घरेलू उद्योग के भंडार में वृद्धि हुई है।
- xi. घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 से नुकासान हुआ है। यद्यपि वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुल वृद्धि हुई है, लेकिन पहुंच कीमतों में वृद्धि होने के साथ, यह वृद्धि एक लाभ के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
- xii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकदी हानि हुई है।
- xiii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।
- xiv. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में बाधा आई है क्योंकि उसे वर्ष 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि के दौरान वित्तीय हानि होने के साथ-साथ नकदी हानि भी हुई है।
- xv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के चलते हुई है। किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

### ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों के आधार पर है।
  112. इस अनुरोध के संबंध में कि एक घरेलू उत्पादक पर दिवालियेपन की कार्यवाही चल रही है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजीटीआर ऐसे मामलों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार संगत प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
- 1. क्षति का संचयी मूल्यांकन**
113. विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करते हैं कि:

- i. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो वहां सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से अधिक है, और
- ii. आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- i. भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कुल आयातों की मात्रा के 3% से अधिक है।
- iii. आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयातों से न केवल प्रत्येक संबद्ध देश द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा हो रही है, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा हो रही है।

115. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर संचयी प्रभाव का आकलन करना उचित समझते हैं।

116. जापान से आयातों को संचयी रूप से कम किए जाने से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान से आयातों की मात्रा कुल आयातों की मात्रा के 3% से अधिक है, जापान में उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ऐसे आयात अन्य संबद्ध देशों से आयातों या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि जापान के उत्पादकों ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के समान वस्तु नहीं हैं, लेकिन प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पादों के समान वस्तु का उत्पादन किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों से आयातों के संचयन पर विचार किया है।

2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

117. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में उत्पादों की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083
कैप्टिव खपत	मी. टन	6,662	0	1,37,268	2,17,230
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	11,98,008	10,35,742	9,12,230	9,39,285
संबद्ध आयात	मी. टन	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
अन्य आयात	मी. टन	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल मांग	मी. टन	47,31,503	57,58,934	59,32,081	66,10,837

118. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समग्र क्षति अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह सर्वाधिक थी।

ख. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा

119. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से हो या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष में हो, उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी. टन	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
ऑस्ट्रेलिया	मी. टन	1,16,925	2,96,324	1,69,401	1,36,749
चीन जन. गण.	मी. टन	1,24,044	9,44,638	6,80,467	7,39,508
कोलंबिया	मी. टन	5,28,332	5,55,586	5,67,205	3,61,969
इंडोनेशिया	मी. टन	69,932	2,53,672	8,59,057	17,52,886
जापान	मी. टन	3,45,603	3,80,420	2,63,742	2,19,726
रूस	मी. टन	47,168	1,73,944	2,60,383	2,23,968
अन्य आयात	मी. टन	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल आयात	मी. टन	24,28,939	35,47,220	36,26,196	42,47,239
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	50%	124%	140%	172%
खपत	%	26%	45%	47%	52%
कुल आयात	%	51%	73%	77%	81%

120. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में समग्र क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है।
- उत्पादन और खपत के संदर्भ में आयातों में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान भारत में खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा 52% है।
- जबकि आधार वर्ष के दौरान भारत में आयातों का 51% अंश संबद्ध आयातों में शामिल था, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा दोगुनी से भी अधिक हो गई है। जांच की अवधि के दौरान भारत में आयातों का 81% अंश संबद्ध आयातों का हिस्सा है।
- मांग में वृद्धि की तुलना में संबद्ध आयातों में अधिक गति से वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत में मांग में 40% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है।

121. इस अनुरोध के संबंध में कि आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को हानि पर बेचा है। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा लाभप्रदता से समझौता किए जाने के कारण हुई है।

3. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

122. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों के कारण भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कीमत कटौती हुई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या कीमतों में वृद्धि होने से रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्यतः होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत दमन और कीमत दबाव यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क. कीमत कटौती

123. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

विवरण	इकाई	धनराशि
बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***
पहुंच कीमत	₹/ मी. टन	27,024
कीमत कटौती	₹/ मी. टन	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25%

124. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कीमतों में यह कटौती सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है।

ख. कीमत दबाव और कीमत मंदी

125. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में कमी आ रही है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने के लिए है या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है:

विवरण	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102
बिक्रियों की लागत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
पहुंच कीमत	₹/ मी. टन	32,618	37,733	28,916	27,024
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	89	83

126. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2022-23 में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और गिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम थी। वर्ष 2022-23 में आयात कीमत में बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में कमी आई, लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी। जांच की अवधि के दौरान, बिक्री लागत और बिक्री कीमत में और अधिक गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान पहुंच कीमत, बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि ये पहले से ही बिक्री लागत से कम थीं। समग्र आधार पर, जबकि क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में वृद्धि से बहुत कम है। इस प्रकार से, आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है और कीमत में वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा होती।

#### 4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

127. नियमावली के अनुबंध II के अनुसार, क्षति का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में, नियमावली के तहत यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें कि बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।

128. विभिन्न तथ्यों और प्रस्तुत किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की गई है।

#### क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

129. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री निम्नलिखित तालिका में दी गई है: -

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	31,61,750	33,48,531	34,38,531	36,16,031
उत्पादन	मी. टन	16,26,523	14,47,193	14,45,028	14,42,008
क्षमता उपयोग	%	51%	43%	42%	40%
घरेलू बिक्रियां	MT	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083

130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन में गिरावट आई है।
- भारत में मांग घरेलू उद्योग की क्षमताओं से अधिक है और इसलिए, घरेलू उद्योग के लिए अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए मांग पर्याप्त है। फिर भी, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उक्त वृद्धि केवल लाभप्रदता से समझौता किए जाने के कारण हुई है।

131. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षमताओं में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न केवल क्षमता उपयोग में बल्कि घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन में भी गिरावट आई है। जबकि घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि हुई है और भारत में मांग में भी वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन में गिरावट आई है। इस प्रकार, क्षमता उपयोग में गिरावट को क्षमताओं में वृद्धि के कारण से नहीं माना जा सकता है।

ख) बाजार हिस्सेदारी

132. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयातों और अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	23%	20%	23%	22%
अन्य भारतीय उत्पादन	%	25%	18%	15%	14%
संबद्ध आयात	%	26%	45%	47%	52%
अन्य आयात	%	25%	16%	14%	12%

133. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के साथ-साथ समग्र रूप से भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
- अन्य देशों से आयातों की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।
- मांग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, और संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सेदारी में आधा हिस्सा है। संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पर भी कब्ज़ा कर लिया है।

ग) वस्तुसूची

134. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
प्रारंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
अंत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
औसत वस्तुसूची	मी. टन	1,04,260	1,64,201	2,19,746	1,99,085

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वस्तुसूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की हानि पर बिक्री की है और घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हुआ है, फिर भी घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है।

घ) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ

136. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेशों पर प्रतिफल और नकदी लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं: -

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
विक्रियों की लागत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
विक्री कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102
प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(18)	(22)	(37)
कुल लाभ/ (हानि)	₹/ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(19)	(26)	(41)
नकदी लाभ	₹/ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(2)	(2)	(14)
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	% सूचीबद्ध	100	2	10	(10)

137. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 में लाभ अर्जित किया था, लेकिन उसके बाद उसे केवल हानि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के बाद घरेलू उद्योग की हानि वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई है।
- यद्यपि घरेलू उद्योग हानि में विक्री करते हुए अपनी विक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है, फिर भी घरेलू उद्योग की कुल हानि बढ़ गई है।
- नकदी लाभ में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है और इस हद तक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को न केवल जांच की अवधि में, बल्कि 2022-23 और 2023-24 में भी नकदी हानि हुई है।
- घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी यही प्रवृत्ति रही है। क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

ड) रोज़गार, उत्पादकता और मजदूरी

138. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोज़गार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	1,809	1,822	1,942	1,900
मजदूरी	₹/ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	97	93
प्रतिदिन उत्पादकता	मी. टन/ दिन	4,647	4,135	4,129	5,341
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ सं.	899	794	744	759

139. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके साथ ही क्षमता में भी वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन एवं मजदूरी में गिरावट आई है।

च) विकास

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
क्षमता	%	-	6%	3%	5%
उत्पादन	%	-	(11)%	(0.1)%	(0.2)%
घरेलू बिक्री	%	-	7%	7%	(4)%
लाभ/ हानि	%	-	(118)%	(23)%	(65)%
नकद लाभ	%	-	(102)%	(11)%	(495)%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	(98)%	307%	(198)%

140. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- जांच की अवधि तक घरेलू उद्योग की क्षमता में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है।
- जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री सहित मात्रात्मक मापदंडों में गिरावट आई है।
- क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में वर्ष दर वर्ष गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में वित्तीय और नकदी हानि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की हानि में वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि देखने में आई है।
- नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वर्ष 2022-23 में नकारात्मक वृद्धि देखने में आई है, तथापि, 2023-24 में इसमें सुधार हुआ। जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में एक बार फिर नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

141. चूंकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, अतः इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। इसके अलावा, आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत और बिक्री लागत से कम हैं। इससे घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकदी हानि हुई है। संबद्ध आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।

और कीमत वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा होती। अतः, प्राधिकारी का अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ज) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

142. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

143. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में वित्तीय और नकदी हानि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

144. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत, जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से प्राप्त कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत को ध्यान में रखा गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, यूटिलिटी और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया था और उसका पालन किया जा रहा है।

145. सहकारी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

146. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: -

क्र.सं	मूलता का देश	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(यूएसडी/ मी. टन)	(यूएसडी/ मी. टन)	(यूएसडी/ मी. टन)	(%)	(रेंज)
क	ऑस्ट्रेलिया	***	***	***	***	15-25%
ख	चीन जन. गण	***	***	***	***	25-35%
ग	कोलंबिया	***	***	***	***	25-35%
घ	इंडोनेशिया	***	***	***	***	15-25%
ङ	जापान	***	***	***	***	10-20%
च.	रूस	***	***	***	***	15-25%

ज. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

147. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के क्षति, मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों की मौजूदगी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति, नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है:

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

148. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के अलावा, केवल पोलैंड से ही आयात काफी मात्रा में हुआ है। तथापि, पोलैंड से आयात की कीमत संबद्ध देशों से आयात की कीमत से अधिक है। अतः, यह क्षति तीसरे देशों से हुए आयातों के कारण से नहीं है।

ख. मांग में संकुचन

149. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। अतः, मांग में किसी संकुचन के कारण क्षति नहीं मानी जा सकती।

ग. खपत की पद्धति

150. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

151. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

152. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च. उत्पादकता

153. घरेलू उद्योग के उत्पादन में परिवर्तन के साथ ही घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी परिवर्तन आया है। अतः, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

154. यहां उपरोक्त जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में है। अतः, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

155. हुई क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण से नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में ही सूचना को पृथक करके उपलब्ध कराया है।

झ. कुछ संबद्ध देशों के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

156. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और जापान के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करारों के कारण एमएफएन शुल्क दरों में कमी के कारण हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है। इस प्रकार से, क्षति केवल उन देशों से आयातों की कम कीमत के कारण नहीं है जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

157. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि से पहले ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी देशों से सीमा शुल्क न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया गया था। घरेलू उद्योग 2021-22 में लाभदायक था, जब सीमा शुल्क जाँच अवधि के समान ही थे। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, ऑस्ट्रेलिया से आयातों का पहुँच मूल्य अधिकांश देशों की तुलना में अधिक है, भले ही वह सीमा शुल्क के अधीन न हो।
- ट. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मामले
- ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध
158. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग की इनपुट लागत में वृद्धि होगी और इस्पात उत्पादकों की लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार के स्तर में गिरावट आएगी।
  - शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग अपनी परिचालन क्षमता में सुधार लाने और उन्नत तकनीकों को अपनाने से हतोत्साहित हो सकता है।
  - भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है और इसे पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है।
  - घरेलू उद्योग को पहले से ही लागू रक्षोपायों द्वारा संरक्षण प्राप्त है।
  - घरेलू उद्योग व्यापार सुधारात्मक जांच का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग व्यापार सुधारात्मक उपायों पर अत्यधिक निर्भर है।
- ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध
159. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- सार्वजनिक हित का निर्धारण (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ताओं, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों, और (घ) आम जनता के हितों के संबंध में किया जाना चाहिए।
  - पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़गा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विगत में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
  - डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव 1% से कम है।
  - चूंकि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है, अतः इसे डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा वहन किए जाने की संभावना है और इसे उपयोगकर्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।
  - डाउनस्ट्रीम उद्योग विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर अपने उत्पाद की कीमत में परिवर्तन नहीं करता है।
  - घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण काफी क्षति का सामना करना पड़ा है, जिससे आगे किसी भी निवेश के लिए प्रतिकूल बाजार स्थितियां पैदा हुई हैं।
  - भारतीय उद्योग के पास भारत में व्यापारिक मांग की सम्पूर्ण पूर्ति करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।
  - घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमताएं भारत में मांग से अधिक हैं, अतः शुल्क लगाए जाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की कमी नहीं होगी।

- ix. भारत में पाटन के चलते कई उत्पादकों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। उत्पादकों को संचित वस्तुसूची के कारण क्षति का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने परिचालन को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- x. प्रमुख इस्पात निर्माताओं के पास कैप्टिव कोक ओवन संयंत्र हैं और विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर किसी भी उपाय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- xi. डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और उपायों के तहत सुरक्षित और अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है।
- xii. डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर संबद्ध वस्तुओं की तुलना में उच्च बुनियादी सीमा शुल्क लागू होता है।

### ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

160. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, इस बात को नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था संरक्षित रहेगी। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों का लागू होना पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित करने से रोकता है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तुओं के लिए व्यापक चयन तक पहुंच को सुरक्षित करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों में बाधा नहीं बल्कि सहायक हैं।
161. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों के साथ-साथ आयातों की पहुंच कीमत में भी उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। विगत में कीमतें काफी अधिक थीं। चूंकि विगत में इतनी अधिक कीमतों के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग के कार्यानिष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भी कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
162. जहां तक भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होने के संबंध में अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह गलत है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में व्यापार की मांग से कहीं अधिक है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयातों पर प्रतिबंध नहीं होता, फिर भी आयात बंद होने की स्थिति में भी, भारत में विचाराधीन उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी।

विवरण	मात्रा (मी. टन)
भारत में मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	63,93,607
व्यापारी उत्पादकों की कुल भारतीय क्षमता	67,15,931
मांग-आपूर्ति अंतराल (कैप्टिव को छोड़कर)	(3,22,324)

163. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विगत वर्षों में संबद्ध वस्तुओं की उच्च कीमतों के कारण उपयोगकर्ताओं की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा हो। किसी भी स्थिति में, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव 1% से भी कम है।

विवरण	इकाई	राशि
घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***

घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत	₹/ मी. टन	***
क्षतिरहित कीमत तक पहुंचने के लिए कीमत में वृद्धि	₹/ मी. टन	***
हॉट रोलड कॉइल स्टील की कीमत	₹/ मी. टन	63,959
प्रति मीट्रिक टन स्टील में मेट कोक की खपत	कि. ग्रा./ मी. टन	304
इस्पात उद्योग में कुल मांग में व्यापारिक उत्पादकों और आयातों का हिस्सा	%	10%
इस्पात उद्योग में प्रति मीट्रिक टन स्टील (मेट कोक के घरेलू उत्पादकों से खरीदा गया + आयात) में मेट कोक की खपत [*** कि. ग्रा./ मीट्रिक टन का ***%]	कि. ग्रा./ मी. टन	30
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	₹/ मी. टन	***
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	₹/ कि. ग्रा.	***
हॉट रोलड कॉइल स्टील में पाटनरोधी शुल्क के कारण कीमत में वृद्धि का हिस्सा	₹/ मी. टन	***
पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	%	<0.15%

\* 2.5 एमएम की हॉट रोलड कॉइल स्टील

164. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख खपत इस्पात उद्योग में होती है। तथापि, अधिकांश इस्पात उत्पादकों के पास कैप्टिव कोक ओवन संयंत्र हैं और वे संबद्ध वस्तुओं की बाजार कीमत में परिवर्तन से बचे रहते हैं। अतः, ऐसे उत्पादकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को पहले ही इससे बाहर रखा जा चुका है, अतः फेरो मिश्र धातु उद्योग पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सेगमेंट	खपत				सेगमेंट-वार शेयर का %	
	सकल (केटी)	कैप्टिव (केटी)	मर्चेट (केटी)	मर्चेट का शेयर	समग्र	मर्चेट
स्टील	34,147	30,522	3,625	11%	89%	54%
पिग आयरन	2,018	1,064	954	47%	5%	14%
जस्ता, सोडा ऐश और अन्य	736	0	736	100%	2%	11%
फेरो मिश्र धातु	525	0	525	100%	1%	8%
फाउंड्री	266	0	266	100%	1%	4%
अन्य	629	0	629	100%	2%	9%
कुल	38,320	31,586	6,734		100%	100%

165. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है। चूंकि घरेलू उद्योग को तीव्र क्षति हो रही है, इसलिए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योग की स्थिति में भी सुधार किया जाना आवश्यक है।
166. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार सुधारात्मक उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर विगत में अनेक बार पाटनरोधी शुल्क लगाया जा चुका है। प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की विस्तृत जांच की है और उसके बाद, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उपायों की संख्या संबद्ध देशों में उत्पादकों के कीमत निर्धारण और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाती है।
167. इस अनुरोध के संबंध में कि लागू किए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर किया जाएगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे उपाय अस्थायी प्रकृति के हैं। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार व्यवहार किया है और जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि सुरक्षा जांच की सबसे हाल की अवधि के बाद की है। चूंकि भारत में अनुचित व्यवहार जारी रहा है, इसलिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।
168. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में व्यापक पाटन होने के कारण कई उत्पादकों ने अपने परिचालन को बंद कर दिया है। \*\*\* को मजबूरन अपना परिचालन बंद करना पड़ा। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है, तथापि उसने उत्पादन कम किया है और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है। यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो अन्य उत्पादकों द्वारा भी अपना परिचालन बंद कर दिए जाने की संभावना है।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

169. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच करने तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष है कि:
  - i. ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो एश मैटलर्जिकल कोक के खिलाफ पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन, घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन मैटलर्जिकल कोक मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था। आवेदक एसोसिएशन के नौ सदस्यों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।
  - ii. विचाराधीन उत्पाद मैटलर्जिकल कोक है जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है, जिसमें फेरोएलॉय के निर्माण में उपयोग किए जाने के लिए 0.030% तक फॉस्फोरस की मात्रा का ऐसा अल्ट्रा लो फॉस्फोरस मैटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसका आकार 30 मिमी तक है और आकार सहिष्णुता 5% है।
  - iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अपवर्जन के अनुरोधों की जांच की गई है और प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह पाया है कि घरेलू उद्योग ने उन उत्पादों के समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है जिनके लिए अपवर्जन का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अपवर्जन पर विचार नहीं किया गया है।
  - iv. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है।
  - v. जिन घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, वे भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा हैं। बंगाल एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। भारत में उत्पादन, मांग और आयात की तुलना में बंगाल एनर्जी लिमिटेड के आयात महत्वपूर्ण नहीं हैं। कोई भी घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी

- निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग गठित करने के योग्य माना है।
- vi. जिंदल कोक लिमिटेड ने यह स्पष्ट किया है कि उसने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना गया है।
  - vii. सहकारी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अनंतिम रूप से निर्धारित की गई हैं। इसका सत्यापन किया जाना है।
  - viii. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण और न्यूनतम से ऊपर है।
  - ix. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
  - x. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही हैं।
  - xi. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है और कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हो सकती थी।
  - xii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित अनंतिम निष्कर्ष निकाले गए हैं:
    - क. घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है।
    - ख. यद्यपि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है, लेकिन उसे उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
    - ग. घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया है, जबकि संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।
    - घ. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन इस वृद्धि को संबद्ध आयातों ने हथिया लिया है।
    - ङ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वस्तुसूची में वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी हो गया है और वह संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर कर रहा है, वस्तुसूची में वृद्धि हुई है।
    - च. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है।
    - छ. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि होने के साथ-साथ नकदी हानि भी हुई है।
    - ज. घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।
    - झ. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  - xiii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन होने के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
  - xiv. किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग को क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण हुई है।
  - xv. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आम जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाता है:
    - क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय उद्योग को उचित अवसर मिलेगा।

ख. विचाराधीन उत्पाद की कीमत पहले अधिक थी, जिसका उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

ग. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव नगण्य है।

घ. प्रमुख बाजार सेगमेंट की पूर्ति कैप्टिव उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, जो संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचे रहते हैं।

ङ. भारत में मांग व आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में सभी व्यापारिक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

च. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकदी हानि हुई है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया गया है। ऐसे मामले में, बाजार की स्थितियां आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

छ. भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के चलते कई उत्पादकों को शटडाउन का सामना करना पड़ा है।

170. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित कर दिया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि जांच पूरी होने तक पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अनंतिम शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

171. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई धनराशि के समान अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

#### शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 एवं 2704 0090	लो ऐश मैटलर्जिकल कोक*	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया सहित कोई भी देश	कोई भी	73.55	मी. टन	यूएस डॉलर
2	- वही -	- वही -	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन.	ऑस्ट्रेलिया	कोई भी	73.55	मी. टन	यूएस डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
			गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश					
3	- वही -	- वही -	चीन	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	130.66	मी. टन	यूएस डॉलर
4	- वही -	- वही -	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	130.66	मी. टन	यूएस डॉलर
5	- वही -	-- वही -	कोलंबिया	कोलंबिया सहित कोई भी देश	कोई भी	119.51	मी. टन	यूएस डॉलर
6	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	कोलंबिया	कोई भी	119.51	मी. टन	यूएस डॉलर
8	- वही -	वही	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी	82.75	मी. टन	यूएस डॉलर
9	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	82.75	मी. टन	यूएस डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
10	- वही -	वही	जापान	जापान सहित कोई भी देश	कोई भी	60.87	मी. टन	यूएस डॉलर
11	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी	60.87	मी. टन	यूएस डॉलर
12	- वही -	वही	रूस	रूस सहित कोई भी देश	कोई भी	85.12	मी. टन	यूएस डॉलर
13	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई भी	85.12	मी. टन	यूएस डॉलर

\* मैटलर्जिकल कोक जिसमें राख की मात्रा 18% से कम हो, जिसमें अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मैटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा 0.030% तक हो, जिसका आकार 30 मिमी तक हो तथा जिसका आकार 5% सहनशीलता के साथ फेरोएलॉय विनिर्माण में उपयोग किया जा सके।

#### ड. आगे की प्रक्रिया

172. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

- प्राधिकारी इन जांच परिणामों के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणामों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने की सीमा तक, अंतिम जांच परिणामों में शामिल कर उन पर विचार किया जाएगा।
- प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए मौखिक सुनवाई का आयोजन करेंगे।
- मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) पर प्रकाशित की जाएगी।
- प्राधिकारी, आवश्यक समझे जाने पर हितबद्ध पक्षकारों का आगे सत्यापन करेंगे।
- प्राधिकारी, संबद्ध जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं की सूची**

1. अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड
2. आकाश कोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3. अंजनेय फेरो एलॉयज लिमिटेड
4. अनमोल इंडिया लिमिटेड
5. अरास इंटरनेशनल ट्रेडिंग
6. आर्सेलरमिस्तल निप्पोन स्टील इंडिया लिमिटेड
7. अरजस स्टील प्राइवेट लिमिटेड
8. आर्क फेरो एलॉयज लिमिटेड
9. आसनसोल एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
10. असम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
11. अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
12. एवन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी
13. एक्सिस बिजनेस
14. बागडिया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
15. बालासोर एलॉयज लिमिटेड
16. बेरी एलॉयज लिमिटेड
17. भूतेश्वर निर्माण प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
18. बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड
19. कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
20. चावला इंटरनेशनल
21. केमट्रेड ग्लोबल इम्पेक्स एलएलपी
22. सिटी लिंक लॉजिस्टिक्स
23. डेक्कन फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
24. डिजिटल वेब्स कंप्यूटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
25. ई केमेक्स प्राइवेट लिमिटेड
26. इमर्जेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
27. एस्सेल माइंस एंड मिनरल्स

28. एक्सेरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
29. फेकोर एलॉयज लिमिटेड
30. फ्लस्मिड्थ प्राइवेट लिमिटेड
31. फाउंड्री नीर्स
32. जीएचसीएल लिमिटेड
33. ग्लोबल रीसाइक्लिंग
34. ग्लोबल ट्रेड लिंक
35. गोयल धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
36. हरिअक्ष इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
37. हीरा इलेक्ट्रो स्मेल्टर्स लिमिटेड
38. हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड
39. हीरा पावर एंड स्टील्स लिमिटेड
40. हब इंटरनेशनल
41. इम्पेक्स मेटल एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड
42. इंडिया कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
43. इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड
44. इंटीग्रेटेड एएफआर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
45. जे डी बी कोक
46. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
47. जैन नेचुरल रिसोर्सेज
48. जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड
49. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
50. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड
51. जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
52. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड
53. केआईसी मेटालिक्स लिमिटेड
54. कल्याणी स्टील्स लिमिटेड
55. किलोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

56. केएमएस ट्रेडर्स
57. एलके श्री एंटरप्राइज एलएलपी
58. मद्रास कोल एंड कोक सप्लायर्स
59. महालक्ष्मी कॉन्टिनेंटल लिमिटेड
60. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
61. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल एलएलपी
62. मैथन एलॉयज लिमिटेड
63. एमडीए मिनरल धातु (एपी) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
64. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड
65. मोर अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
66. एमपीएम-दुर्रास रिक्रैकोट प्राइवेट लिमिटेड
67. मुकुंद लिमिटेड
68. नारायणी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
69. नरसिंह इस्पात लिमिटेड
70. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
71. नियो मेटालिक्स लिमिटेड
72. निरमा लिमिटेड
73. नोवा कार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
74. उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
75. ओसवाल मिनरल्स लिमिटेड
76. ओसवाल स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
77. पैरागॉन ओवरसीज लिमिटेड
78. पैरागॉन पूर्वा लिमिटेड
79. पायनियर कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
80. पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड
81. पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज
82. प्रकाश कमर्शियल
83. प्रशांत कोल एंड कोक सेल्स

84. पुष्पांजलि ट्रेडविन प्राइवेट लिमिटेड
85. रश्मि सीमेंट लिमिटेड
86. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड
87. रिन्यूएरा एलएलपी
88. रोडियम फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
89. रॉकफिट कॉर्पोरेशन
90. रोक्सुल रॉकवूल इंसुलेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
91. रॉयल मार्केटिंग
92. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
93. एस वी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
94. संपत विनायक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
95. सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
96. सारदा मेटल्स एंड अलॉयज लिमिटेड
97. सेवॉय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
98. सीकेज़ प्राइवेट लिमिटेड
99. शार्प फेरो एलॉयज लिमिटेड
100. शिवन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
101. शिवमणि एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
102. शिवकाशी ट्रेड वेंचर्स
103. श्रद्धा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
104. श्री भोले एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
105. श्री जय बाबा ट्रेडिंग कंपनी
106. श्रीश्याम इंगोट एंड कास्टिंग्स (प्रा.) लिमिटेड
107. श्याम फेरो एलॉयज लिमिटेड
108. श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड
109. शिवम एलॉयज एंड फ्यूल्स एलएलपी
110. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
111. स्नम एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

112. श्रीनाथजी एंटरप्राइजेज
113. श्री राघवेंद्र फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
114. श्रीकालहस्ती पाइप्स लिमिटेड
115. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
116. सुंदरम अलॉयज लिमिटेड
117. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
118. सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड
119. सूर्या अलॉय इंडस्ट्रीज लिमिटेड
120. स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
121. टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
122. टाटा स्टील लिमिटेड
123. टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड
124. ट्रैफिगुरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
125. टफ मेटलर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड
126. उदय उद्योग
127. विधि इंडस्ट्रीज
128. विमला फ्यूल्स एंड एम्प मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
129. वीज़ा मिनमेटल लिमिटेड
130. विशाल एजेंसीज़
131. विवान ओवरसीज़
132. वेलस्पन मेटालिक्स लिमिटेड
133. विज़डम इंक.
134. युग अलॉयज़

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Directorate General of Trade Remedies)**

New Delhi, the 14th November, 2025

**NOTIFICATION****PRELIMINARY FINDINGS****CASE NO. AD(OI) – 03/2025**

**Subject:** Preliminary Findings in the anti-dumping investigation concerning imports of "Low Ash Metallurgical Coke" originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia.

**F. No. 6/03/2025-DGTR.—**

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

1. Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association ('IMCOM') (hereinafter also referred to as the "applicant" or "applicant association") has filed an application on behalf of the domestic industry before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority"), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules" or "Anti-Dumping Rules"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Low Ash Metallurgical Coke" (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods"), originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia (hereinafter also referred to as the "subject countries").
2. The Authority, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/03/2025-DGTR, dated 29<sup>th</sup> March 2025, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
  - i. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Anti-Dumping Rules.
  - ii. The Authority issued a public notice dated 29<sup>th</sup> March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.
  - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification along with questionnaires to the embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the email addresses made available by the applicants and requested them to make their views known, in writing, within the prescribed time limit.
  - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the embassies of the subject countries in India, the known producers/exporters, importers and users in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
  - v. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the producers/exporters from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
  - vi. The Authority sent exporter's questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
    1. A T Global Resources Pte Ltd.
    2. BlueScope Steel Limited
    3. Bulk Trading Sa

4. China Risun Group (Hong Kong) Limited
  5. Global Resource Group (Grg) Ltd.
  6. Hargreaves Raw Material Services Gmbh
  7. Hong Kong Global Fair Trade Co. Ltd.
  8. Hong Kong Pu Tian Industrial Co. Ltd.
  9. IMR Metallurgical Resources AG
  10. Indo International Trading Fzc
  11. Innovation Worldwide Dmcc
  12. Jacobi Carbons Ag
  13. Jinan Cosave New Material Co. Ltd.
  14. Linyi Trade City Yicaitong Supply Chain Co. Ltd.
  15. Meridian Global Resources (Hk) Ltd.
  16. Metal International Trading Co. Ltd.
  17. Mitsubishi Corporation
  18. Mitsubishi Corporation Rtm Japan Ltd.
  19. Ningxia Actec Industry Corporation
  20. Ningxia Huahui Activated Carbon Company Ltd.
  21. Ningxia Huahui Environmental Technology Co. Ltd.
  22. Nippon Steel Trading Corporation
  23. Nobel Resources International Pte. Ltd.
  24. Norecom Dmcc
  25. Numen Global Pte. Ltd.
  26. Numerco Ltd.
  27. Prosperity Development Enterprise
  28. Shaanxi Zenith I E Co. Ltd.
  29. Shahe Ji Jin Petroleum Coke Trade Co. Ltd.
  30. Shandong Gangda International Trading Co. Ltd.
  31. Sierra Blanca Group Sas
  32. Sinomet International Corporation
  33. Thyssenkrupp Materials Trading Asia Pte Ltd.
  34. Trafigura Pte Ltd.
  35. Trafugura Pte Ltd.
  36. Ugm Group Ltd.
  37. Visa Commodities Ag
  38. Vitelia Trade Ltd.
  39. World Metals and Alloys (Fzc)
  40. Yeung Tai Environmental Industrial (Hk) Co. Ltd.
  41. Zouping Jingguang Coke Trading Co,
- vii. The following producers/exporters filed response to the exporters' questionnaire issued by the Authority.
1. BlueScope Steel Limited

2. China Risun Group (Hong Kong) Limited, Hong Kong
3. Hong Kong Jinteng Development Limited
4. Mitsubishi Chemical Corporation, Japan
5. Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd.
6. PT Detian Coking Indonesia
7. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia
8. PT Risun Wei Shan Indonesia
9. Risun Marketing Limited
10. Risun Materials Co., Limited (Japan)
11. Risun Weishan Engineering (Hainan) Limited, China
- viii. The Authority sent importers and users' questionnaire to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules. A list of such importers and users is enclosed as Annexure 1.
- ix. The following importers/users have participated in the present investigation filing a response to the importers'/users' questionnaires issued by the Authority.
  1. ArcelorMittal Nippon Steel India Private Limited
  2. Mukund Limited
  3. Neo Metaliks Limited
  4. Sunflag Iron and Steel Company Limited
  5. SLR Metaliks Limited
- x. The Authority issued economic interest questionnaire to all interested parties and concerned ministry. The following parties have filed a response to the economic interest questionnaire.
  1. Domestic industry
  2. Alloy Steel Producers Association of India ("ASPA")
  3. Orissa Metaliks Private Limited
  4. Rashmi Metaliks Limited
  5. ArcelorMittal Nippon Steel India Private Limited
  6. Sunflag Iron and Steel Company Limited
  7. SLR Metaliks Limited
  8. Mukund Limited
  9. Mitsubishi Chemical Corporation
  10. Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd.
- xi. Further, submissions were also filed during the course of the investigation by the following parties
  1. Narsingh Ispat Ltd.
  2. Balmukund Sponge & Iron Pvt. Ltd.
  3. Purulia Metal Casting Pvt. Ltd.
- xii. Information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. The Authority conducted a meeting dated 22<sup>nd</sup> May 2025 where all the interested parties were invited to discuss and clarify their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology. Based on the submissions made by the interested parties, the Authority finalized the

- scope of the product under consideration and the PCN methodology vide notification dated 7<sup>th</sup> July 2025.
- xiv. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
  - xv. Request was made to the DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DG systems data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
  - xvi. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry, maintained as per Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether the present interim anti-dumping duty would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
  - xvii. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is 1<sup>st</sup> October 2023 to 30<sup>th</sup> September 2024 (12 Months). The injury investigation period has been considered as 1<sup>st</sup> April 2021 – 31<sup>st</sup> March 2022, 1<sup>st</sup> April 2022 – 31<sup>st</sup> March 2023, 1<sup>st</sup> April 2023 – 31<sup>st</sup> March 2024 and the period of investigation.
  - xviii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this preliminary findings.
  - xix. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has preliminarily considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
  - xx. “\*\*\*” in this preliminary finding represents information furnished on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
  - xxi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 USD = ₹ 84.27

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation of the present investigation, the following was considered as the scope of the product under consideration.

*“Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing. Metallurgical Coke is used as a primary fuel in industries where a uniform and high temperature is required in kilns or furnaces, such as in production of pig iron, foundries, ferro alloys, chemical plants and steel plants.”*

#### C.1. Submissions by the other interested parties

5. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article.
  - i. It is evident from the definition of the product under consideration that it covers LAM Coke with ash content below 18%, and particle size up to 30 mm (with 5% tolerance). The product under consideration excludes ultra-low phosphorous coke ( $\leq 0.030\%$  P). The product under consideration is limited to LAM Coke intended for ferro-alloy manufacturing only.
  - ii. The domestic industry does not manufacture met coke with ash content upto 12% and the same should be excluded from the scope of the product under consideration.
  - iii. Since the domestic industry does not manufacture Ultra-low phosphorous coke with phosphorous content upto 0.030%, the same should be excluded irrespective of size or industry.
  - iv. Coke fines and breeze should be excluded from the scope of the product under consideration as the same is not produced separately and is a by-product. The Authority excluded coke fines and coke breeze in the safeguard (quantitative restrictions) investigation.
  - v. The Authority may verify the sales register of the domestic industry in order to examine whether the grades for which exclusion has been requested have been sold in commercial quantities by the domestic industry.

- vi. While the exporter has exported met coke with size distribution 10-50mm exclusively for corex application, the domestic industry does not produce the same. Accordingly, met coke for corex application should be excluded.
- vii. Nut coke should be excluded from the scope of the product under consideration as it is different from lump coke used in blast furnace. Nut coke does not compete with the product under consideration in the Indian market.
- viii. Small lump coke should be excluded as the same is a by-product with high Coke Strength after reduction ("CSR") and low Coke Reactivity Index ("CRI"). These parameters are required for blast furnace application.
- ix. Lump coke should be excluded as it is exclusively used for blast furnace steelmaking and has very high quality attributes.
- x. Met Coke with size 30-50 mm should be excluded from the scope of the product under consideration as the same is not manufactured by the domestic industry.
- xi. Nippon Coke's grades of lumpy coke for blast furnace include high strength metallurgical coke, which has a higher Micum Index and CRI should be excluded as the same is not manufactured by the domestic industry.
- xii. Narsingh Ispat Limited ("NIL") uses 20-40 mm low ash metallurgical coke as raw material for production of pig iron and is directly impacted by the present investigation. Thus, it should be registered as an interested party in the present investigation.
- xiii. NIL has mini blast furnaces with capacity below 100 cubic meters which cannot utilize standard coke sizes due to technical constraints. Micro blast furnace is used in India by NIL, Balmukund Sponge and Iron Private Limited and Purulia Metal Casting Private Limited.
- xiv. NIL has sourced met coke in 2023-24 from domestic manufacturers, imported directly and through traders in India.
- xv. Low ash metallurgical coke with size 20-40 mm should be excluded from the scope of the product under consideration as domestic manufacturers do not produce it in sufficient quantities to meet the demand in India. The said product is only produced as a by-product.
- xvi. The demand for LAM Coke 20-40 mm is only 5% of total demand for subject goods in India. The imports are restricted to only eastern region and used only by pig iron manufacturers. Since the Indian industry does not produce this size, there can be no injury to the domestic industry due to imports of such product.
- xvii. Domestic producers have expressed inability to supply coke of 20-40 mm through written correspondence. Size below 40 mm, is meant only for captive consumption of domestic manufacturers and not for merchant sales. Domestic producers have offered alternate sizes of 20-50 mm and 20-85 mm to NIL, however, such sizes cannot be used in micro blast furnaces.
- xviii. Coke of 20-40 mm size has different characteristics that make it technically different from larger sizes of coke. The size affects gas flow patterns, heat transfer and furnace operations.
- xix. The product required for micro blast furnace application is that with ash content upto 13%. The domestic producers typically produce coke with higher ash content which is unsuitable for micro blast furnace.
- xx. Parameters such as ash content, size, moisture content, coke strength after reduction (CSR) and coke reactivity index (CRI) affect the cost and price of the product under consideration and should be considered for the purpose of PCN.
- xxi. Application, that is, met coke for blast furnace and met coke for corex, should be considered for the purpose of PCN.
- xxii. Moisture Content up to 5% and above 5% by weight and content of undersized particles up to 5% and above 5% by volume should be considered as PCN for the present investigation.
- xxiii. Tumbler Strength (M40) should be considered as a parameter for PCN as higher M40 is more expensive than lower M40.

## C.2. Submissions by the Domestic Industry

- 6. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article are as follows:

- i. The product scope considered by the Authority in the initiation notification may be considered for the scope of the present investigation.
- ii. The submissions made by BlueScope Steel Limited should be rejected as it has failed to disclose the characteristics of the product for which exclusions have been requested.
- iii. The other interested parties have failed to provide any evidence with regard to the fact that the domestic industry is not producing like article to the grades for which exclusion has been requested.
- iv. In order to produce various grades of the subject goods, only the coal with desired parameters is required. There is no change in the production process to produce subject goods with characteristics identified by the other interested parties. The domestic industry has the capacity to produce the product which characteristics identified by the other interested parties.
- v. The domestic industry has produced and sold met coke with ash content of 12% and below and no exclusion is warranted for the same.
- vi. Small lump coke, lump coke, nut coke and coke with size 30-50 mm are classified only based on size. Since size is solely dependent upon screening, the domestic industry is capable to manufacture all sizes of met coke.
- vii. The domestic industry has produced and sold nut coke in the merchant market. Thus, exclusion for nut coke is not justified.
- viii. The terminology, lump coke and small lump coke, are not used in India and the other interested parties have failed to provide the characteristics for such product.
- ix. Since both lump coke and small lump coke are used in blast furnace application and the domestic industry has supplied the subject goods for blast furnace application, the domestic industry has supplied like article. Hence, exclusion request is not justified in this regard.
- x. There is no demand for met coke with CSR higher than 70% and CRI less than 20% in India. Since the domestic industry has not received an enquiry for such a product, the same has not been produced. However, the domestic industry is capable to produce the same by merely changing the raw material used. The said product may not be excluded from the scope of the product under consideration.
- xi. One of the applicants has recently produced met coke with CSR higher than 70% and CRI less than 20%. However, such a product has not been sold since there is no demand for the said product in India.
- xii. As opposed to the submissions of the other interested parties, coke breeze and coke fines have similar purposes and application to met coke of larger size. The said product has been produced and sold by the domestic industry during the period of investigation. Thus, there is no justification to exclude the same.
- xiii. There is no legal basis to exclude a grade in the present investigation as the same was excluded in the previous investigation. There is no bar on changing the product under consideration from one investigation to another. The Authority has considered different product scopes in different investigations in the past.
- xiv. The domestic industry has not manufactured ULP coke for ferroalloy manufacturing only due to commercial consideration. The ferroalloy industry requires ULP coke of 30 mm or below. The requirement of such product in India for ferroalloy application is only 5% of the production of the Indian industry.
- xv. The exclusion for ULP coke should be restricted to only ferroalloy industry as there is no requirement for such product by any other segment. In case, the exclusion is not restricted based on final use, the steel manufacturers and other segments may shift to imports of ULP coke as the same will become lower priced as compared to duty inclusive price of normal coke.
- xvi. The domestic industry has supplied the subject goods for use in blast furnace and applications other than ferroalloy manufacturing. Thus, the domestic industry has supplied commercially and technically substitutable product for applications other than ferroalloy manufacturing.
- xvii. ULP coke should be considered as that with phosphorous content of upto 0.01% which is evident from the website of Nilachal Carbo Metaliks Limited.
- xviii. Since same product is used for blast furnace application and corex application, and the domestic industry has produced and sold the said product, exclusion request for the same is not justified.

- xix. The other interested parties have failed to define the exact parameter for high micum index. The domestic industry has produced the said product during the injury period and the same may not be excluded from the scope of the product under consideration.
- xx. The representation filed by NIL is belated and should not be considered. The submissions have been made 122 days after the deadline. Further, NIL has not filed any response to users' or importers' questionnaire and has made allegations without substantiating the same. This clearly shows non-cooperation.
- xxi. Submissions by NIL should be rejected for lapse in procedural requirements. Without prejudice to the same, it must be directed to file a response to questionnaire issued by the Authority.
- xxii. NIL had raised the same concerns to DGFT post issuance of recommendations by DGTR in the safeguard investigation. However, the same were not accepted by Ministry of Commerce at that time.
- xxiii. Indian industry has produced and supplied the product with size between 2mm to 200+ mm. Production of met coke in desired size is a mere requirement of doing sizing of the met coke produced. The sizing of the product is not the main part of production process.
- xxiv. Jindal Coke Limited has offered the product to NIL as per specifications required by it. However, NIL has not replied to the communication sent and chosen to import the product.
- xxv. Nilachal Carbo Metalliks Limited has also offered the product to NIL. It has offered both 20-40 mm sizes and 20-40 mm size. However, NIL has asked Nilachal to first produce 100 MT of product, without any order for testing purposes. Such a request is not in line with established industry process.
- xxvi. NIL has suppressed the facts and presented that it has always been importing the product under consideration. However, Bengal Energy Limited has supplied substantial volumes to NIL in the past. Further, NIL has procured various sizes, including that upto 80 mm from Bengal Energy Limited. Since the company still operates with the same furnace, the claim that it can use only 20-40 mm is incorrect.
- xxvii. NIL shifted to importing the product under consideration only due to availability of dumped prices. NIL has admitted that it is getting the product at prices ₹ 10,000 per MT below the price of the domestic industry. Exclusion of such product for NIL will provide undue benefit to NIL and it will become more competitive than other users as it will lead to undue savings of ₹ 1,250 crores over 5 years.
- xxviii. There is no technical requirement of 20-40 mm sizes which is evident from the fact that NIL has imported various sizes including 20-50 mm and 25-50 mm.
- xxix. NIL has imported more than 50% of its total imports from Poland which is not a subject country.
- xxx. As opposed to the submissions by NIL, there is no technical term such as "Micro Blast Furnace". The term "Mini Blast Furnace" is used for smaller blast furnaces. The domestic industry has been regularly supplying to mini blast furnaces in India.
- xxxi. The domestic industry supplies 10-30 mm product to ferroalloy industry. Since 10-30 mm size is smaller than 20-40 mm, there is no reason why the Indian industry will not be able to supply such product.
- xxxii. NIL has submitted that domestic industry charges higher price for smaller sizes due to generation of coke breeze and fines, however, the same is not correct. The domestic industry does not charge higher prices for 10-30 mm coke as compared to blast furnace coke.
- xxxiii. The other interested parties have failed to show that the parameters identified lead to material change in the cost of production which require formulation of PCN based on such parameters.
- xxxiv. Selling price cannot be considered for determining PCNs as the same varies based on factors such as demand-supply situation, quantity of purchase by the users, month of purchase, payment terms, delivery schedule, spot vs. contractual purchases, cost of production etc.
- xxxv. About 90% of the cost of production for the subject goods constitutes raw material, that is, coking coal. Cost on account of coal or utilities does not vary due to parameters such as moisture content, tumbler strength (M40), CSR, and CRI. Thus, there is no need for devising PCN based on such parameters.

- xxxvi. The cost of production of the subject goods does not vary more than 5% for ash content below 13%. The cost of production does not vary more than 5% for ash content between 13% and 18%. There is a variation in cost of production between subject goods with ash content above and below 13%.
- xxxvii. There is variation in cost of production for breeze coke, nut coke and met coke for blast furnace application.
- xxxviii. Applications cannot be a basis for consideration of PCN as the product involved is the same and there are no differences in the parameters leading to change in cost of production.

### C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is low ash metallurgical coke with ash content below 18%. The Authority notes that the other interested parties have requested exclusion of the following products from the scope of the product under consideration.
  - i. Met Coke with ash content 12% or below.
  - ii. Coke breeze and coke fines
  - iii. Nut Coke
  - iv. Coke with size 30-50 mm
8. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence that it has produced and sold the abovementioned identical products in the merchant market. Since the domestic industry has produced and sold the like article in the domestic market during the period of investigation, the abovementioned products are not being excluded from the scope of the product under consideration.
9. The domestic industry has submitted that the desired characteristics in the subject goods including different ash content, tumbler strength or micum content (M40), coke reactivity index (CRI), coke strength after reduction (CSR) and phosphorous content can be achieved by merely using the right quality of coking coal. The production process does not undergo a change in order to change the technical parameters of the subject goods. The Authority notes that none of the other interested parties have provided any evidence to the contrary.
10. With regard to exclusion requested by the other interested parties for ultra-low phosphorous coke irrespective of size and application, the Authority notes that the said product is used only for ferroalloy application. The domestic industry has submitted that the ferroalloy manufacturers require met coke with size upto 30 mm. The domestic industry has further, submitted that due to commercial considerations, it does not manufacture ULP coke for ferroalloy application. It has also been submitted that in order to produce ULP coke only the right quality of coal is required and there is no need to change the production process. As per evidence on record, the said product has been manufactured by the domestic industry. However, the domestic industry has agreed for exclusion of ULP coke of size upto 30 mm and for ferroalloy applications. It is noted that in case of exclusion of ULP coke irrespective of size and application, other users may shift to imports of ULP coke since it is likely to be cheaper than the other types of met coke post imposition of anti-dumping duty. Thus, the Authority has restricted exclusion of ULP coke only upto the size of 30 mm when imported for use in ferroalloy applications.
11. With regard to the submissions by the domestic industry that ULP coke should be considered with phosphorous content upto 0.01%. The Authority notes that the domestic industry has provided website extracts of one of the domestic producers which shows that ULP coke has been classified as that having phosphorous content upto 0.01%. It is noted that the scope of product under consideration considered in the initiation notification excludes ULP coke with phosphorous content upto 0.03% with size upto 30 mm for use in ferroalloy manufacturing. Since restriction of phosphorous content upto 0.01% will lead to enhancement of product scope, the same is not being considered for the purpose of the present investigation.
12. With regard to the submissions that coke breeze and coke fines should be excluded from the scope of the product under consideration as the said products are by-products and were excluded in safeguard investigation, the Authority notes that the domestic industry has produced coke breeze and coke fines during the period of investigation. There is no legal bar for considering a different product under consideration from one investigation to another. As per consistent practice of the Authority, a fresh examination has been made for the scope of product under consideration for the purpose of the present investigation. Since the domestic industry has produced and sold coke breeze and coke fines during the period of investigation, it has been considered within the scope of the product under consideration.
13. With regard to exclusion of the subject goods for corex application, the Authority notes that the other interested parties have not provided any technical parameters showing difference between the product produced by the domestic industry and imported from the subject countries. The other interested parties have submitted that the said product is of size 10-50 mm. The domestic industry has submitted that there is no difference in the subject goods used for blast furnace application and corex application. The Authority notes that, as per evidence on

record, the domestic industry has manufactured met coke with size 10-50 mm during the period of investigation. Accordingly, it is not appropriate to exclude met coke for corex application from the scope of the product under consideration.

14. With regard to exclusion of lump coke and small lump coke, the domestic industry has submitted that the other interested parties have claimed the technical parameters of the said product confidential. The Authority notes that the other interested parties have submitted that the said product is used for blast furnace application. Since the domestic industry has produced and sold the subject goods for blast furnace application, the domestic industry has produced commercially and technically substitutable product to the product being imported from the subject countries. Since the domestic industry has offered like article in the domestic market, the exclusion request for lump coke and small lump coke is not being considered.
15. With regard to exclusion of subject goods with micum index of 89 and above, the Authority that as per the evidence on record, the domestic industry has produced the subject goods with micum index as high as \*\*\*\*%. The other interested parties have failed to substantiate that the subject goods with high micum index cannot be substituted with the subject goods produced by the domestic industry. Thus, the request for exclusion of product under consideration with high micum index is not being considered.
16. With regard to exclusion of product under consideration with CSR higher than 70% and CRI less than 20%, the domestic industry has submitted that there is no demand for the said product in India and the said product can be manufactured by changing the raw material mix. The domestic industry has also provided a test report of one of the applicants showing that it has produced the subject goods with CSR higher than 70% and CRI less than 20%. However, it has been stated that the said producer has not been able to sell such product in the domestic market due to lack of demand. Thus, the Authority has not considered the request for exclusion of CSR higher than 70% and CRI less than 20%.
17. The Authority notes that Narsingh Ispat Limited (“NIL”) has requested for registration as an interested party in the present investigation as it consumes met coke with size 20-40 mm. The domestic industry has submitted that the said request has been filed at a belated stage and should not be accepted. The Authority notes that NIL has requested to be registered as an interested party at a belated stage. However, the Authority has registered NIL as no prejudice will be caused to the interest of any interested party including the domestic industry by registration of NIL as an interested party in the present investigation.
18. With regard to the submissions that NIL has not responded to IQR / UQR in the present investigation, the Authority notes that the parties have filed submissions, which have been considered in the present case. Even where a party does not file a response, the Authority shall consider the submissions made by them during the investigation.
19. NIL has requested exclusion of coke with size 20-40 mm from the scope of the product under consideration. It has been submitted that such size is specifically used by pig iron manufacturers having mini blast furnaces and the Indian industry does not provide such size in significant quantity to fulfil the demand in India. The Authority notes that the domestic industry has submitted that in order to produce coke with 20-40 mm size, the only requirement is crushing and screening of the product. Crushing and screening is not the main part of the production process. Further, as per evidence on record, the Indian industry has produced and sold subject goods with sizes 2 mm to 200+ mm in the domestic market.
20. The Authority further notes that the communications provided by the domestic industry shows that the product with 20-40 mm size and specifications desired by NIL has been offered by Jindal Coke Limited and Nilachal Carbo Metalliks Limited. Further, the following producers have furnished declarations expressing their capacity and willingness to supply the said product to NIL.
  - i. Aqua Terra Coke & Energy Ltd
  - ii. Bengal Energy Limited
  - iii. Jindal Coke Limited
  - iv. Krishna Coke Private Limited
  - v. Mahalakshmi Group
  - vi. Nilachal Carbo Metaliks Limited
  - vii. SU Mangala Coke Private Limited
  - viii. Tamil Nadu Coke & Power Limited
  - ix. United Coke Private Limited
  - x. VISA Coke Limited

21. With regard to the submission of non-availability of 20-40 mm product in India, the Authority notes that NIL has itself submitted that it has procured certain quantities of the said product from domestic manufacturers in India. Further, as per evidence on record, one of the applicant domestic producers, Bengal Energy Limited, has supplied the said product to NIL in the past. The Authority further notes that procurement of NIL from Bengal Energy Limited was not limited to 20-40 mm and it has procured various sizes.
22. NIL has submitted that the domestic industry cannot provide lower sizes of coke and 20-40 mm produced by the domestic industry is only for captive consumption. The Authority notes that as per evidence on record the domestic industry has produced and supplied nut coke on regular basis. Nut coke is of the size 10-30 mm which is lower than the size of coke requested by NIL. Further, the Authority also notes that only one of the companies out of 9 applicant domestic producers captively consumes the product under consideration. The other domestic producers produce only for the merchant market.
23. With regard to the submissions that there is no technical requirement for 20-40 mm coke by NIL, the Authority notes that as per the evidence on record, NIL has purchased various sizes of met coke and has not restricted to 20-40 mm sizes. Further, the domestic industry has provided the subject goods to NIL in the past and NIL has procured various sizes from the domestic industry.
24. NIL has submitted that it requires coke with ash content below 13% and the domestic producers do not supply the same. The Authority notes that as per the PCN wise data available on record, the domestic industry has produced and sold met coke with ash content below 13% in substantial quantities during the period of investigation.
25. As regard the submissions that the domestic industry charges higher prices for lower sized coke, the Authority notes that there is no evidence on record regarding the same. Further, the domestic producers have provided a declaration that it does not charge higher prices.
26. A product can be excluded from the scope of the product under consideration only when such product is not produced and sold by the domestic industry. The Authority notes that as per the evidence on record, the domestic industry has offered the said product to NIL and has produced and sold the product to NIL. Further, NIL has itself submitted that it has procured the product from domestic manufacturers in India. Thus, there is no need for exclusion of 20-40 mm coke from the scope of the product under consideration.
27. The Authority further notes that, as per DG Systems data, approximately 50% imports by NIL have been made from Poland which is a non-subject country. NIL can continue importing the product at fair prices from non-subject country as well as procure the subject goods from subject countries at fair prices after payment of anti-dumping duty.
28. The Authority has considered the product scope for the purpose of the present investigation as that considered in the initiation notification.  
*“Low Ash Metallurgical Coke that is, Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing”*
29. The product under consideration is classified under Chapter 27 of the Customs Tariff Act, 1975 under the HS Code 2704 0030. The product under consideration is also being imported under various other HS Codes including 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 and 2704 0090. The Customs classification is only indicative and not binding on the scope of the product under consideration in the present investigation.
30. The Authority notes that there are no significant differences in the product produced by the domestic industry and the goods imported from the subject countries. The product produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical properties, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry in India are being treated as “like articles” to the subject goods being imported from the subject countries.
31. The other interested parties have submitted that parameters including CRI, CSR, Moisture Content and tumbler strength (M40) should be considered as PCN parameters. The Authority notes that there is no evidence on record that such parameters lead to change in cost of production for the subject goods. Hence, the same have not been considered as separate parameters.
32. With regard to the submission that PCN should be based on application of the product, the Authority notes that PCN cannot be devised based on application of the product. The domestic industry has submitted that the cost of production does not vary based on the application for the product as the same product is used for blast furnace application and corex application. The Authority has not considered such parameter for PCN in the present investigation.

33. The Authority notes that as per evidence on record, the cost of production of the subject goods varies based on ash content above 13% and below 13%. The domestic industry has provided evidence showing that the cost of production does not vary substantially depending on different ash contents below 13% and the variation exists only between ash content above and below 13%. Accordingly, the same has been considered as a PCN parameter for the present investigation.
34. With regard to size of coke, the Authority notes that none of the other interested parties have provided any evidence showing difference in cost of production. It is further noted that while the domestic industry has submitted that the separate PCNs should be formed for coke with size below 10 mm, 10-30 mm and above 30mm, the evidence provided by the domestic industry regarding variation in cost of production based on size demonstrates substantial variation in cost of production of met coke with size below 10 mm and above 10 mm. However, the Authority notes that the cost difference between size between 10-20 mm and above 30 mm is not substantial. Thus, the Authority has considered PCN based on size upto 10 mm and above 10 mm.
35. The following PCN has been finalised for the present investigation.

PCN Criteria	Parameter	Code description	Code sign
Ash content	Low Ash	Less than 13%	LA
	Medium Ash	More than 13%	MA
Size	Coke fine/breeze	Size upto 10 mm	CF
	Others	Size above 10 mm	OT

## **D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

### **D.1. Submissions by the other interested parties**

36. The submissions of the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing are as follows:
- The initiation notification does not contain objective analysis to determine whether the present case qualifies as that involving fragmented industry. Such determination is prerequisite for filing application under Trade Notice 09/2021.
  - The Authority has neither clarified that the 8 domestic producers considered for economic analysis have been sampled nor clarified an intent to conduct sampling in future.
  - The 8 sampled producers should have provided Format VI-1 to VI-5.
  - The 8 producers have failed to provide information as per Annexure 1 of Trade Notice 09/2021.
  - While the applicant had identify Jindal Coke Limited as an importer of the product under consideration, the Authority in notification of initiation stated that the applicant domestic producers have not imported the product under consideration into India.

### **D.2. Submissions by the domestic industry**

37. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing are as follows:
- The application has been filed by the Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association on behalf of the domestic industry. The following members of the association have provided data for the purpose of the present investigation.
    - Bhatia Coke and Energy Limited (Aquaterra Coke & Energy Limited),
    - BLA Coke Private Limited,
    - Pawanputra ECoke Private Limited
    - Saurashtra Fuels Private Limited,
    - SU Mangala Coke Private Limited
    - United Coke Private Limited, and
    - Vedanta MALCO Energy Limited

- ii. In India, met coke is either produced as an intermediate in manufacturing of steel or is produced as a product for production and sale in the market or is partly produced for sale and partly consumed in-house.
- iii. There are at least 17 producers of the product producing met coke captively. Steel manufacturers producing met coke for captive use must not be considered for the purpose of the present investigation as they are essentially consumers of the product, they do not recognize met coke as a product, they do not compete in the merchant market, met coke is a raw material for them and not a product for sale and are insulated from the merchant market situation.
- iv. The steel manufacturers do not specify met coke as a product on their website.
- v. Captive producers should not be considered for determining the scope of the domestic industry as done in the previous investigations on imports of the subject goods into India. The Tribunal in Pig Iron Mfrs. Assn. Vs. Designated Authority upheld the findings issued by the Authority and held that steel producers which produce for captive consumption should not be considered as a part of the domestic industry.
- vi. The domestic industry has sent communication to all domestic producers to confirm their capacities, production and sales. Since there is no publicly available information with regard to Indian production of the subject goods, the Authority may approach the domestic producers to verify the estimates provided by the applicant.
- vii. A number of producers have filed support letters post communication sent by the Authority.
- viii. Shree Electromelts Limited and Bengal Energy Limited have clarified that they have imported the product under consideration from the subject countries during the period of investigation.
- ix. Post filing of application, Jindal Coke Limited has filed detailed injury data and requested to be considered as part of the domestic industry.
- x. None of the applicant domestic producers are related to the exporters of subject goods in the subject countries or importers of the subject goods in India.
- xi. Post initiation of investigation, Bengal Energy Limited has filed detailed injury data and requested that it may be considered as part of the domestic industry.
- xii. The applicant domestic producers account for major proportion of the total domestic production in India and hence, constitute domestic industry under Rule 2(b).

### D.3. Examination by the Authority

38. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as follows:

*"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers.*

*Provided that in exceptional circumstances referred to in sub-rule (3) of Rule 11, the domestic industry in relation to the article in question shall be deemed to comprise two or more competitive markets and the producers within each of such market a separate industry, if -*

*(i) the producers within such a market sell all or almost all of their production of the article in question in that market; and*

*(ii) the demand in the market is not in any substantial degree supplied by producers of the said article located elsewhere in the territory;"*

39. The application for initiation of the present investigation has been filed by Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association ("IMCOM") on behalf of the domestic industry under Trade Notice 09/2021. The following members of the applicant association have provided injury data as per Annexure 1 to the Trade Notice 09/2021.

1. Bhatia Coke and Energy (Aquaterra Coke & Energy Limited),
2. Bengal Energy Limited
3. BLA Coke Private Limited
4. Jindal Coke Limited

5. Pawanputra ECoke Private Limited
  6. Saurashtra Fuels Private Limited
  7. SU Mangala Coke Private Limited
  8. United Coke Private Limited, and
  9. Vedanta MALCO Energy Limited
40. The Authority notes that in India, met coke is either produced as an intermediate in the manufacturing process of steel or is sale in the merchant market or is partly produced for sale and partly for captive consumption. The applicant has submitted that there are at least 17 producers of the product producing met coke captively. However, such producers should not be considered as producers of met coke for determination of scope of the domestic industry in the present investigation, for the following reasons.
1. Producers engaged in manufacturing met coke as a part of steel making do not recognize it as a product.
  2. It is only an input required by these producers for production of steel and is an intermediate in such production process.
  3. Websites of the steel producers do not report met coke as a “product”.
  4. The steel manufacturers do not compete in the met coke market either with imports or with domestic producers.
  5. The captive producers are insulated from the market situations in the met coke market.
  6. The steel manufacturers are actually consumers of the subject goods, rather than manufacturers of the same.
  7. Met coke is a raw material for these producers and not a product meant for sale.
41. The Authority notes that in India, there are two competitive markets for the product under consideration. The first set of market comprises of captive producers of the subject goods which produce met coke as part of steel manufacturing process. It is noted that these manufacturers do not compete in the domestic merchant market as they usually do not sell met coke in the market. For such producers, met coke is an intermediate product for production of steel and such manufacturers are actually consumers of the product under consideration. Some of such manufacturers even purchase coke from the merchant market or import the same into India. The second market comprises of manufacturers whose final product is met coke. These producers manufacture the subject goods for selling in the merchant market. Such producers compete in the merchant market inter se as well as with the imports being made into India. For the purpose of the present investigation, the Authority has considered these as separate competitive markets and the producers within each of such market are a separate industry. Accordingly, the production of captive producers is not being considered for determination of total Indian production for the purpose of defining the domestic industry in the present investigation.
42. The Authority further notes that in the previous investigations on imports of the product under consideration, the Authority has considered merchant market and captive market as separate competitive markets and producers within each of these markets have been considered to constitute separate industry. The Tribunal, in case of, Pig Iron Mfrs. Assn. Vs. Designated Authority upheld the findings issued by the Authority and held that steel producers comprise of a separate market.
43. The Authority notes that at the time of filing the application for initiation of the present anti-dumping investigation into imports of subject goods from the subject countries, the following members of the applicant association provided data as per Annexure 1 of Trade Notice 09/2021.
1. Bhatia Coke and Energy (Aquaterra Coke & Energy Limited),
  2. BLA Coke Private Limited
  3. Pawanputra ECoke Private Limited
  4. Saurashtra Fuels Private Limited
  5. SU Mangala Coke Private Limited
  6. United Coke Private Limited, and
  7. Vedanta MALCO Energy Limited

44. The Authority notes that none of the abovementioned applicant domestic producers have imported the subject goods into India during the period of investigation. Further, the said producers are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importers in India.
45. The applicant further submitted that the following domestic producers have imported the product under consideration, and thus, should not be considered as part of domestic industry.
1. Shree Arihant Trade Links Private Limited
  2. Shreeji Coke and Energy Private Limited
  3. Motherson Consolidate
  4. Bengal Energy Limited
  5. Mahalakshmi Ennor Coke and Power Private Limited
  6. Mahalakshmi Wellman Fuels LLP
  7. Jindal Coke Limited
  8. Visa Coke Limited
46. The Authority issued letters, dated 25<sup>th</sup> March 2025, to all domestic producers in India prior to initiation of the present investigation seeking information with regard to their capacities, production, sales, captive consumption and imports made by the producers during the injury period. The Authority also sought information on whether the producers support, oppose or are neutral to the application filed for initiation of the investigation. The following producers supported the application and filed support letters.
1. Bengal Energy Limited
  2. Carbon Edge Industries Limited
  3. Coromandel Met Coke Industries
  4. Harsh Fuels Private Limited
  5. Jindal Coke Limited
  6. Narayani Coke Private Limited
  7. Nilachal Carbo Metalicks Limited
  8. Shree Electromelts Limited
  9. Tirupati Traders
  10. Tamilnadu Coke and Power Limited
  11. Usha Fuels Private Limited
  12. Varah Ventures (Formerly known as Girdhari Coke)
47. The Authority notes that prior to initiation, Jindal Coke Limited has filed data as per Annexure 1 of Trade Notice 09/2021 and requested the Authority to consider it as part of the domestic industry. Since complete data as per Trade Notice 09/2021 has been provided by Jindal Coke Limited, the Authority has considered it as a part of the domestic industry in the present investigation. It has been further clarified by Jindal Coke Limited, that it has not imported the product under consideration into India from the subject countries during the period of investigation and it is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer in India.
48. Post initiation of the investigation, Bengal Energy Limited has filed data as per Annexure 1 of Trade Notice 09/2021 and has requested that it may be considered as part of the domestic industry for the purpose of the present investigation. The Authority notes that Bengal Energy Limited has imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. The producer has submitted that it imported only a single vessel from the subject countries during the injury period and is not a regular importer of the product under consideration. Further, the product imported has been captively consumed and not sold in the domestic market. The Authority further notes that the imports by Bengal Energy Limited are negligible as compared to subject imports, domestic production in India and demand in India. Bengal Energy is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importer in India. Accordingly, the Authority has considered Bengal Energy Limited as part of the domestic industry for the purpose of the present investigation.

Particulars	Unit	POI
Imports by Bengal Energy Limited	MT	***
Subject imports	MT	31,29,282
Domestic production	MT	23,85,833
Demand	MT	62,87,216
Imports in relation to		
Subject imports	%	<2%
Domestic production	%	<2%
Demand	%	<1%

49. As per the information on record, the following producers have imported the subject goods from the subject countries in India during the period of investigation.

SN	Producer	Production	Imports	Imports in relation to production
1.	Bengal Energy Limited	***	***	5-15%
2.	Mahalakshmi Ennor Coke and Power Private Limited	***	***	70-80%
3.	Mahalakshmi Wellman Fuels LLP	***	***	150-160%
4.	Motherson Consolidate	***	***	5-15%
5.	Shree Arihant Trade Links Private Limited	***	***	50-60%
6.	Shree Electromelts Limited	***	***	15-25%
7.	Shreeji Coke and Energy Private Limited	***	***	0-10%
8.	Visa Coke Limited	***	***	20-30%

50. The Authority notes that since imports by Bengal Energy Limited, Motherson Consolidate and Shreeji Coke and Energy Private Limited are not significant in relation to their production, total production in India and demand in India, such producers have been considered eligible to constitute domestic industry in the present investigation.
51. The Authority notes that the domestic producers considered as part of the domestic industry in the present investigation account for 72% of the total eligible Indian production and along with supporters account for 85% of the total eligible domestic production. Since the domestic producers account for major proportion of total domestic production in India, the Authority provisionally holds that the said domestic producers constitute domestic industry under Rule 2(b).
52. The Authority has undertaken sampling of the domestic producers in the present investigation. The following three domestic producers have been sampled based on the largest production volumes. The said producers have provided all information relevant as specified under Trade Notice 05/2021 for the present investigation.

a. Bengal Energy Limited

b. Bhatia Coke and Energy Limited (Aquaterra Coke & Energy Limited)

c. Jindal Coke Limited

## **E. CONFIDENTIALITY**

### **E.1. Submission by the other interested parties**

53. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to confidentiality.
- The transaction-wise import data has not been provided by the applicant despite being requested by the other interested parties.

- ii. Annexure II of Trade Notice No. 09/2021 sets forth certain requirements, one of which is a complete list of members of Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association. A non-confidential version of this list has not been made available to the interested parties by the domestic industry.
- iii. The applicant has claimed the normal value calculations confidential in entirety and have not provided any non-confidential summary for the same. Thus, the other interested parties have been unable to verify the accuracy of the information submitted.
- iv. While the applicants have submitted that Jindal Coke Limited is an importer of the product under consideration, the Authority has noted that it has not imported the product under consideration. In case, any clarification was filed by the applicant, the same was not circulated to the other interested parties.
- v. The applicant has claimed excessive confidentiality as actual figures for PBIT have not been provided. Further, calculation for non-injurious price has not been provided.

## **E.2. Submissions by the Domestic Industry**

54. The submissions made by the domestic industry with regard to confidentiality are as follows:

- i. A number of foreign producers have claimed the names of traders and exporters which have exported their product to India confidential.
- ii. A number of producers / exporters have claimed excessive confidentiality as they have not disclosed the distribution and marketing channel as well as details about related companies, nature of expenses claimed as adjustment, production process and names of raw material.
- iii. Product catalogue and brochure as well as list of products sold which is routinely shared with the customers have been claimed confidential.
- iv. A number of parties have not provided justification for confidentiality in accordance with Trade Notice 01/2013.
- v. A number of producers and exporters have claimed company affiliations, shareholding and names of producers of the product exported by them as confidential.
- vi. Details and nature of post invoicing discount given has been claimed confidential.
- vii. The other interested parties have not adhered to the requirement of Trade Notice 10/2018.

## **E.3. Examination by the Authority**

55. Rule 7 of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

*“7. Confidential Information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, subrule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the interested parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”*

- 56. The information provided by all the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- 57. A list of registered interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.

58. As regard the submissions that the domestic industry has not shared transaction wise import data, the Authority notes that the domestic industry has relied upon market intelligence to provided information with regard to imports of subject goods in India. A non-confidential summary of the same has been shared with all interested parties. In any case, no prejudice is caused to the interest of any interested party by not sharing transaction wise information as the Authority has relied upon DG Systems data and not the data provided by the domestic industry.
59. The other interested parties have submitted that a non-confidential version of list of members of the association has not been provided by the domestic industry. Further, the domestic industry has claimed that the other interested parties have not provided the distribution channel and adjustments claimed for fair comparison. The Authority notes that the domestic industry as well as the other interested parties have claimed excessive confidentiality. The Authority has directed all interested parties including the domestic industry vide email dated 24<sup>th</sup> October 2025 to disclose the said information.
60. With regard to the submissions that the domestic industry has claimed excessive confidentiality with regard to actual figures of PBIT and normal value calculations, the Authority notes that the domestic industry has submitted that normal value has been determined based on cost of production of the domestic industry. Since cost of production is confidential business proprietary information, the same has been claimed confidential. The Authority has accepted the confidentiality claims in this regard. The domestic industry has further submitted that the information with regard to profitability of the domestic industry is confidential business proprietary information disclosure of which will provide competitive advantage to the competitors and provide an edge for negotiation of prices to the users and hence, claimed confidential. The Authority has accepted the confidentiality claims in this regard.
61. As regard the submissions that the domestic industry has not shared the clarification based on which the Authority has noted that Jindal Coke Limited has not imported the subject goods in India, the Authority notes that Jindal Coke Limited has filed support letter in the present investigation post filing of the petition. The non-confidential version of such letter has been circulated to all interested parties. Jindal Coke Limited has stated that it has not imported the product under consideration into India during the period of investigation from the subject countries.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1. Submissions by the other interested parties**

62. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- i. The petition filed is deficient as it does not contain non-injurious price, injury margin, formats VI-1 to VI-5, Annexure I for each producer as well as actual figures for PBIT.
  - ii. There is no need for a preliminary findings in the present investigation as the domestic industry has earned cash profits which do not reflect a situation of grave injury to the domestic industry. There is no evidence of intensified imports post initiation of the present investigation.
  - iii. In accordance with the Manual of Operating Procedures a provisional duty may be considered if there arises an 'urgent need' for protection of the domestic industry from injury on account of intensified dumped imports.
  - iv. There is an overlap of injury period between the safeguard investigation and the anti-dumping investigation. The injury caused to the domestic industry will be addressed by the quantitative restrictions in force.
  - v. The initiation of the present investigation is without any basis as the applicants have not presented substantive evidence to prove condition of initiation for an anti-dumping investigations.
  - vi. The applicants are taking undue advantage of the trade remedial process. The product under consideration is currently subjected to safeguard measures and was previously subject to anti-dumping duty.

### **F.2. Submissions made by the Domestic Industry**

63. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
- i. The import price has continued to decline even post the period of investigation especially from Indonesia.
  - ii. There is a need for imposition of provisional anti-dumping duty as the decline in prices post period of investigation has caused significant injury to the Indian industry.

**F.3. Examination by the Authority**

64. With regard to the contention that the application filed is deficient, the Authority notes that the application has been filed under Trade Notice 09/2021 by the association of domestic producers in India. The applicant domestic producers have provided data in form of Annexure 1 to Trade Notice 09/2021. As per the requirements of the Trade Notice, the applicant domestic producers are not required to file detailed information in form of Formats VI-1 to VI-5. The Authority has undertaken sampling of domestic producers in the present investigation and the detailed formats VI-1 to VI-5 have been filed by the sampled producers. Based on the detailed formats filed, the Authority has determined the non-injurious price as well as the injury margin.
65. The Authority does not find merit in the contention of the other interested parties that the present investigation was initiated without any basis. The Authority notes that the domestic industry had submitted *prima facie* evidence of dumping, injury and causal link in the application filed. Only after examining and being satisfied with regard to the *prima facie* evidence of dumping, injury and causal link, the Authority proceeded to initiate the present investigation.
66. With regard to the submissions that there is no justification for imposition of provisional duties, the Authority notes that the domestic industry has suffered material injury due to dumping of subject imports into India. The domestic industry has incurred financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed in the period of investigation. The domestic industry has submitted that the import price has declined even post period of investigation causing intensified injury to the domestic industry. In such a case, there is an immediate need for remedying the material injury being caused to the domestic industry due to dumping of subject imports from the subject countries.
67. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that in the past the subject goods have been subject to anti-dumping duty. The Authority recommended imposition of anti-dumping duty after examining and determining that the producers in the subject countries were dumping the subject goods in India due to which the domestic industry suffered material injury. In each of the findings, the Authority has come to a conclusion that the exporters have engaged in unfair trade practice of dumping. Accordingly, the anti-dumping duty had been recommended. Further, the safeguard measures were recommended after concluding that the imports increased in such quantities that the same cause serious injury to the domestic industry.
68. As regard the contention that the injury period of present investigation overlaps the injury period in the safeguard investigation, the Authority notes that the period of investigation in the present investigation is October 2023 – September 2024. The most recent period considered in the safeguard investigation was April 2022 – March 2023. The performance of the domestic industry considered in the present investigation is much worse than the performance of the domestic industry in the safeguard investigation. Further, the Authority has determined dumping only for the period of investigation. In such a case, overlap of the period does not change the merits of the present investigation.

**G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN****G.1. Submissions by the other interested parties**

69. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the market economy treatment, normal value, export price and dumping margin.
- i. The applicant has failed to provide sufficient explanation that it was appropriate to proceed with construction of the normal value.

**G.2. Submissions made by the Domestic Industry**

70. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to market economy treatment, normal value, export price and dumping margin:
- i. China PR should be treated as a non-market economy in accordance with Article 15(a)(i) of China's accession protocol, and the normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure I to the Rules.
  - ii. The applicant does not have access to selling price or cost in an appropriate market economy third country as it is not available in the public domain. Imports into India cannot be considered as goods are majorly being dumped in India. Imports other than Poland are negligible and hence, cannot be used for normal value determination.
  - iii. Majority of imports from Poland are by Arcelormittal Nippon Steel India under a long-term agreement. Therefore, such price is influenced and not based on demand-supply principles. Furthermore, the

- product under consideration has been imported under several different codes and hence, exports from such countries to other countries cannot be considered.
- iv. The normal value for China PR has been determined on price payable in India, based on cost of production of the domestic industry duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.
  - v. Since the price lists or commercial invoices for sales in the local market of other countries were not available to the applicant, the normal value has been determined on alternate basis.
  - vi. Adjustments have been made with regard to ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, bank charges, inland freight, credit costs and inventory carrying costs for determination of net export price.
  - vii. The dumping margin is positive and significant.

### G.3. Examination by the Authority

71. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

*“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

*(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”*

72. The Authority notes that the following producers/exporters of the subject goods have filed exporter's questionnaire responses:
- i. BlueScope Steel Limited
  - ii. China Risun Group (Hong Kong) Limited, Hong Kong
  - iii. Hong Kong Jinteng Development Limited
  - iv. Mitsubishi Chemical Corporation, Japan
  - v. Mitsubishi Corporation RTM Japan Ltd.
  - vi. PT Detian Coking Indonesia
  - vii. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia
  - viii. PT Risun Wei Shan Indonesia
  - ix. Risun Marketing Limited
  - x. Risun Materials Co., Limited (Japan)
  - xi. Risun Weishan Engineering (Hainan) Limited, China

#### 1. PT Detian Coking Indonesia

73. PT Detian Coking Indonesia (PT Detian) has claimed to have exported \*\*\* MT of the product under consideration to India directly during the period of investigation.
74. The Authority asked for supplemental information from the producer vide email dated 30<sup>th</sup> July 2025 and allowed time till 11<sup>th</sup> August 2025. The producer furnished a partial response on 27<sup>th</sup> August 2025 and supplemented the same on 18<sup>th</sup> September 2025. In its supplemental, the Authority specifically queried regarding the channel of distribution and whether all exporters forming part of channel have furnished a response. The producer did not confirm whether all exporters forming part of channel of distribution have furnished a response. Further, the producer declared that it has only directly exported to India.

75. The Authority thereafter further raised certain queries on 11<sup>th</sup> September 2025, seeking additional information, including sample invoices. The Authority examined the invoices submitted and the customer details provided in Appendix 3A. On perusal of the information, the Authority finds that the customers, to which PT Detian has sold, are not Indian entities. On the contrary, the sample invoices provided and the DG Systems data show that the customers reported are actually located in \*\*\*.
76. This shows that PT Detian has not exported the subject goods directly to India, as declared. On the contrary, the product under consideration has been exported to India through traders / exporters. That being the case, the complete channel of distribution for exports to India is not before the Authority. The Authority notes that specific directions were given in the questionnaire advising that where exports are made through an exporters, the exporter must furnish response to Part-I and Part-II, as well as Appendix 5. Instead of furnishing the required information, the producer has mis-declared that it only exported to India directly. Even upon a repeated query from the Authority in this regard, the producer did not place correct facts before the Authority.
77. In view of the same, the Authority provisionally finds that that the response filed by PT Detian does not provide adequate and accurate information for the calculation of dumping margin and injury margin. Further, traders constituting \*\*\*% of the exports to India have not participated. Therefore, the Authority has provisionally not allowed an individual duty rate for the producer.

## 2. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia

78. PT Kinrui New Energy Technologies Indonesia (“PT Kinrui”) claimed that it has exported \*\*\* MT of the product under consideration to India, out of which \*\*\* MT has been exported directly. Further, the producer has also sold the subject goods to related trader, \*\*\* which has eventually exported the subject goods to India.

PT Kinrui → Unrelated customers in India

PT Kinrui → \*\*\* → Unrelated customers in India

79. The Authority asked for supplemental information from the producer vide email dated 30<sup>th</sup> July 2025 and allowed time till 11<sup>th</sup> August 2025. The producer furnished a partial response on 27<sup>th</sup> August 2025 and supplemented the same on 18<sup>th</sup> September 2025. In its supplemental, the Authority specifically queried regarding the channel of distribution and whether all exporters forming part of channel have furnished a response. The producer did not confirm whether all exporters forming part of channel of distribution have furnished a response. Further, the producer reiterated that it had exported the subject goods to India through the aforesaid channels of distribution.
80. The Authority thereafter further raised certain queries on 11<sup>th</sup> September 2025, seeking additional information. The Authority examined the information submitted by the producer, the invoices submitted and the customer details provided in Appendix 3A. On perusal of the information, the Authority finds that many of the customers, to which PT Detian has sold, are not Indian entities. On the contrary, the sample invoices provided and the DG Systems data show that many of the customers reported are actually located in other countries, such as \*\*\* and \*\*\*. It appears that such traders constitute more than \*\*\*% of the exports to India.
81. This shows that PT Kinrui has not only exported the subject goods directly and through related trader to India, as declared. On the contrary, the product under consideration has also been exported to India through traders / exporters. That being the case, the complete channel of distribution for exports to India is not before the Authority. The Authority notes that specific directions were given in the questionnaire advising that where exports are made through an exporter, the exporter must furnish response to Part-I and Part-II, as well as Appendix 5. Instead of furnishing the required information, the producer has mis-declared that it only exported to India directly and through related exporter. Even upon a repeated query from the Authority in this regard, the producer did not place correct and complete facts before the Authority. This casts a doubt on the veracity of information provided by the producer.
82. In view of the same, the Authority provisionally finds that that the response filed by PT Kinrui does not permit adequate and accurate information for the calculation of dumping margin and injury margin. Further, traders making significant exports to India have not participated. Therefore, the Authority has provisionally not allowed an individual duty rate for the producer.

## 3. PT Risun Wei Shan Indonesia

83. As per the response filed by PT Risun Wei Shan Indonesia (“Risun Wei Shan”) has exported \*\*\* MT of the product under consideration to India. The producer has not exported the product under consideration directly to India. The subject goods have been sold for exports to India to related entities namely, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* and \*\*\*. \*\*\* has further sold the subject goods to unrelated trader, namely, \*\*\* which has further sold to \*\*\*. The eventual exporter of the subject goods produced by Risun Wei Shan is Risun HK.

Risun Wei Shan → Risun HK (related) → Unrelated customers in India

Risun Wei Shan → \*\*\* → Risun HK (related) → Unrelated customers in India

Risun Wei Shan → \*\*\* → Risun HK (related) → Unrelated customers in India

Risun Wei Shan → \*\*\* → \*\*\* → Risun HK (related) → Unrelated customers in India

84. The Authority asked for supplemental information from the producer vide email dated 30<sup>th</sup> July 2025 and allowed time till 11<sup>th</sup> August 2025. In its supplemental, the Authority specifically queried regarding the channel of distribution and whether all exporters forming part of channel have furnished a response. The producer did not specifically confirm whether all exporters forming part of channel of distribution have furnished a response. Further, the producer reiterated its claim that it had exported to India through the aforesaid channels of distribution. The Authority thereafter further raised certain queries on 11<sup>th</sup> September 2025, seeking additional information. Therefore, as per the producer, all exports to India have been made through Risun HK, to unrelated customers in India.
85. The Authority examined the information submitted by the producer and the customer details provided in Appendix 3A, and compared the same to DG Systems data. On perusal of the information, the Authority finds that many of the customers, to which Risun HK has sold, are not Indian entities. On the contrary, the DG Systems data show that many of the customers reported are actually located in other countries, such as \*\*\*, \*\*\* and \*\*\*. It appears that such traders constitute more than \*\*\*% of the exports to India.
86. This shows that the goods produced by Risun Wei Shan have not only been exported through Risun HK directly to customers in India. On the contrary, the product under consideration has also been exported to India through traders / exporters. That being the case, the complete channel of distribution for exports to India is not before the Authority. The Authority notes that specific directions were given in the questionnaire advising that where exports are made through an exporter, the exporter must furnish response to Part-I and Part-II, as well as Appendix 5. Instead of furnishing the required information, the producer has mis-declared its channel of distribution to claim that Risun HK has exported to customer in India. Even upon a repeated query from the Authority in this regard, the producer and its related did not place correct and complete facts before the Authority.
87. It is further noted that in Appendix 3A, Risun HK did not give the complete names of the customers. It appears that the identifiers which would have permitted the Authority to identify that the customer is not located in India, such as “\*\*\*\*”, “\*\*\*\*”, “\*\*\*\*.”, and “\*\*\*\*” have been removed. For instance, for sales to “\*\*\*\*”, located in \*\*\*, have been written as “\*\*\*\*”. Likewise, sales to “\*\*\*\*”, located in \*\*\*, have been reported as sales to “\*\*\*\*”. This casts a doubt on the veracity of information provided by the producer.
88. In view of the same, the Authority provisionally finds that the response filed by Risun Wei Shan does not permit adequate and accurate information for the calculation of dumping margin and injury margin. Further, traders constituting more than \*\*\*% of the exports to India have not participated. Therefore, the Authority provisionally does not allow an individual duty rate for the producer.

#### 4. BlueScope Limited

89. As per response filed by BlueScope Limited (BlueScope), it has exported \*\*\* MT to India, of which \*\*\* MT has been exported directly. The balance has been exported through two traders, \*\*\* and \*\*\*.

BlueScope → Unrelated customers in India

BlueScope → \*\*\*

BlueScope → \*\*\*

90. The Authority notes that BlueScope Limited has exported significant volumes of the product under consideration, equivalent to almost \*\*\* of the total volume, through unrelated traders. The unrelated traders have not cooperated in the present investigation by filing a questionnaire response. Since, the information in respect of significant exports to India is not available, the Authority provisionally finds that an individual dumping margin and injury margin cannot be allowed to the producer.

#### 5. Mitsubishi Chemical Corporation

91. As per the response filed by Mitsubishi Chemical Corporation, it has exported \*\*\* MT of the product under consideration to India directly and through its related traders, namely, \*\*\*. \*\*\* has in turn exported the product under consideration to India directly and through a related party, \*\*\*. \*\*\* has further resold to unrelated trader, which has in turn exported to India.

Mitsubishi Chemical Corporation → \*\*\* → Unrelated customer in India

Mitsubishi Chemical Corporation → \*\*\* → \*\*\* → Unrelated customer in India

92. While \*\*\* has participated in the present investigation, \*\*\* has failed to file a response and cooperate in the present investigation. The Authority notes that \*\*\*% exports have been made by \*\*\*, which has failed to participate in the present investigation. The Authority also notes that \*\*\* has filed the resale information of \*\*\* in its response. However, the same is not sufficient, as the Authority also requires additional information in Part I and Part II, including Appendix 5 to be filed by the related trader. The instructions of the Authority are clear that any other “*any other non-producer related entities involved in export of the PUC are required to submit response in part I and part II along with Appendix-5*”. Moreover, \*\*\* has in turn sold the product to an unrelated trading entity, and has not directly exported to India. Such unrelated trader has also not cooperated before the Authority. In light of the failure of the related party and the further trader to furnish a complete response, as required, the Authority provisionally finds that an individual dumping margin and injury margin cannot be allowed to the producer.

## 6. Determination of normal value and export price

### Normal value for Australia

93. None of the producers or exporters, barring BlueScope Limited, have participated in the present investigation and filed a response. As noted above, the response filed by BlueScope Limited cannot be considered for determination of individual margins. Accordingly, the Authority has, therefore, constructed the normal value for Australia on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

### Export price for Australia

94. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Australia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

### Normal value for China PR

95. Article 15 of the China’s Accession Protocol to the WTO provides as follows:

*“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

*In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

*The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member’s national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a*

*particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”*

96. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicants have claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product under with regard to production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their cost and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.
97. In the present case, no producer from China has participated in the investigation by furnishing a response. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with paragraph 7 of Annexures I of the Rules which state as follows:

*“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”*

98. The applicant has claimed that the selling price or cost in appropriate market economy third country is not available. Further, price of imports into other countries cannot be considered as the imports are under various codes. Price of imports into India cannot be considered as the same are being dumped in India. Thus, the applicant has claimed that the normal value should be determined on the basis price payable in India. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst that listed under paragraph 7 of Annexure I of the Rules, which may form basis of determination of normal value. The Authority has therefore, determined normal value as per the price payable in India, based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

#### **Export price for China PR**

99. The Authority notes that none of the producers from China PR have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers and exporters from China PR has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

#### **Normal value for Colombia**

100. The Authority notes that none of the producers/ exporters from Colombia have filed exporter's questionnaire responses. In view of non-cooperation from all producers/ exporters in Colombia, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has, therefore, constructed the normal value for Colombia on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

#### **Export price for Colombia**

101. The Authority notes that none of the producers/exporters from Colombia have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Colombia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

#### **Normal value for Indonesia**

102. None of the producers or exporters, barring PT Detian, PT Kinrui and Risun Wei Shan, have participated in the present investigation and filed a response. As noted above, the responses filed by the said three producers cannot be considered for determination of individual margins. Accordingly, the Authority has, therefore, constructed the normal value for Indonesia on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

#### **Export price for Indonesia**

103. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Indonesia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

**Normal value for Japan**

104. None of the producers or exporters, barring Mitsubishi Chemical Corporation, have participated in the present investigation and filed a response. As noted above, the response filed by Mitsubishi Chemical Corporation cannot be considered for determination of individual margins. Accordingly, the Authority has, therefore, constructed the normal value for Japan on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

**Export price for Japan**

105. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Japan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

**Normal value for Russia**

106. The Authority notes that none of the producers/ exporters from Russia have filed exporter's questionnaire responses. In view of non-cooperation from all producers/ exporters in Russia, the Authority has determined the normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The Authority has, therefore, constructed the normal value for Russia on the basis of cost of production in India, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

**Export price for Russia**

107. The Authority notes that none of the producers/exporters from Russia have filed exporter's questionnaire response. The export price for all non-cooperating producers and exporters from Russia has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

**G.4. Dumping margin**

108. Considering the normal value constructed as provided above, and export price as determined, the dumping margin determined for the subject countries is as follows:

S.N.	Country of origin	Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	Australia	***	***	***	***	15-25%
B	China PR	***	***	***	***	55-65%
C	Colombia	***	***	***	***	30-40%
D	Indonesia	***	***	***	***	30-40%
E	Japan	***	***	***	***	50-60%
F.	Russia	***	***	***	***	55-65%

**H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK****H.1. Submissions made by the other interested parties**

109. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- Imports from Japan should not be cumulatively assessed with other subject countries particularly China and Indonesia, as imports from Japan have declined over the injury period, are much lower than imports from other subject countries and are priced higher.
  - Since the product produced by Nippon Coke and Engineering Co., Ltd. is of higher quality and not technically or commercially substitutable with that of the product produced by the domestic industry or imported from other subject countries, imports from Japan should not be cumulatively assessed.
  - While the capacity, sales volume and value has increased, the export sales have declined. The decline in profitability is due to decline in exports of the domestic industry.
  - The capacity utilization of the domestic industry has declined due to expansion of capacities over the injury period.

- v. Since the domestic sales and production have also increased in tandem with increase in volume of imports, the domestic industry has not suffered any injury due to increase in imports from the subject countries.
- vi. The selling prices of the domestic industry have moved in line with the cost of sales through most of the injury period. Therefore, this shows absence of any price injury on account of imports from subject countries.
- vii. The import prices in India are based on international market prices of the product under consideration.
- viii. The applicant has not provided any information with respect to price undercutting for the first three years of the injury period.
- ix. The domestic industry has not suffered any material injury as the capacity, production and domestic sales of the domestic industry has increased.
- x. Jindal Coke Limited has reported significant profit margins and also improved capacity utilization.
- xi. The decline in profitability of the domestic industry is due to price fluctuations in upstream value chain of the product under consideration.
- xii. The domestic product is supplied via trucks while imports arrive in bulk shipments, therefore creating certain challenges in domestic supply and causing injury to the domestic industry.
- xiii. The decline in profitability of the domestic industry may be attributed to capacity expansions due to which the depreciation and interest costs have increased over the injury period.
- xiv. Bhatia Coke and Energy has been subject to insolvency proceedings in the injury period for non-payment of dues of about ₹ 125.9 crores to a consortium of banks.
- xv. The injury suffered by the domestic industry is due to own inefficiencies and not due to imports from subject countries.
- xvi. The injury to the domestic industry, if any, is due to imports from countries other than Japan.
- xvii. The injury to the domestic industry is due to reduction in MFN duty rates and tariff liberalization in FTA's with Indonesia, China, Australia and Japan. The injury to the domestic industry is only due to imports from such countries.
- xviii. The high depreciation and interest costs should be adjusted while assessing non-injurious price and injury claims of the domestic industry.

## **H.2. Submissions made by the domestic industry**

110. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
  - i. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate in the present case as all conditions of cumulation have been met.
  - ii. The volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India over the injury period.
  - iii. The subject imports account for majority of imports into India.
  - iv. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
  - v. The landed price of the subject imports is below the selling price as well as the cost of sales of the domestic industry.
  - vi. While both cost of sales and selling price of the domestic industry have increased, the selling price has increased less than increase in cost of sales of the domestic industry. Thus, subject imports have suppressed the prices of the domestic industry.
  - vii. While the capacity of the domestic industry has increased, the capacity utilization, production and sales of the domestic industry has declined over the injury period.
  - viii. There is enough demand in the country for domestic industry to completely utilise its capacities, even then the production and sales of the domestic industry has declined.
  - ix. The imports from subject countries account for half the market share in demand. The market share of the Indian industry as well as imports from other countries has declined over the injury period.
  - x. Even though the domestic industry has compromised on profitability and sold the subject goods at losses, the inventories of the domestic industry have increased.

- xi. The domestic industry has suffered losses since 2022-23. While the profitability of the domestic industry recovered slightly in 2023-24 and the period of investigation, with an increase in landed price, the increase was not sufficient to recover to a profitable level.
- xii. The domestic industry has suffered cash losses in the period of investigation.
- xiii. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed during the period of investigation.
- xiv. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been hampered as it has incurred financial losses as well as cash losses in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.
- xv. The injury to the domestic industry is due to dumping of subject imports into India. None of the other known factors have caused injury to the domestic industry.

### H.3. Examination by the Authority

- 111. The Authority has examined the arguments and counterargument of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder address the various submissions made by the interested parties.
- 112. With regard to the submissions that one of the domestic producers is under insolvency proceedings, the Authority notes that DGTR is not the right authority for such issues. The other interested parties may approach the relevant authority.

#### 1. Cumulative assessment of injury

- 113. Article 3.3 of the WTO Agreement and Para (iii) of Annexure II of the Rules provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
  - i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
  - ii. A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic products.
- 114. The Authority notes that:
  - i. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than the *de minimis* limits as prescribed under the Rules.
  - ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of total volume of imports.
  - iii. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries are not only directing competing with the product offered by each of the subject countries but also the like article offered by the domestic industry in the Indian market.
- 115. In light of the above, the Authority considers it appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan, and Russia on the domestic industry cumulatively.
- 116. With regard to the submissions that imports from Japan should be de-cumulated, the Authority notes that the volume of imports from Japan is more than 3% of total volume of imports, the dumping margin for producers in Japan is more than *de-minimis* and there is no evidence on record which establishes that such imports do not compete with imports from other subject countries or the product produced by the domestic industry. The Authority notes that while the producers from Japan have stated that the product produced by the domestic industry is not a like article to product exported by them, the Authority has not accepted the same as the evidence on record shows that the domestic industry has produced like article to such product. Thus, the Authority has considered cumulation of imports from all subject countries.

#### 2. Volume Effect of Dumped Imports

##### a. Assessment of demand/apparent consumption

- 117. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the India producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Sales of domestic industry	MT	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083
Captive consumption	MT	6,662	0	1,37,268	2,17,230
Sales of other domestic producers	MT	11,98,008	10,35,742	9,12,230	9,39,285
Subject imports	MT	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
Other imports	MT	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
Total Demand	MT	47,31,503	57,58,934	59,32,081	66,10,837

118. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased in India throughout the injury period and was highest during the period of investigation.

**b. Import volumes from the subject countries**

119. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject countries, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Subject imports	MT	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
Australia	MT	1,16,925	2,96,324	1,69,401	1,36,749
China PR	MT	1,24,044	9,44,638	6,80,467	7,39,508
Colombia	MT	5,28,332	5,55,586	5,67,205	3,61,969
Indonesia	MT	69,932	2,53,672	8,59,057	17,52,886
Japan	MT	3,45,603	3,80,420	2,63,742	2,19,726
Russia	MT	47,168	1,73,944	2,60,383	2,23,968
Other imports	MT	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
Total imports	MT	24,28,939	35,47,220	36,26,196	42,47,239
Subject imports in relation to					
Production	%	50%	124%	140%	172%
Consumption	%	26%	45%	47%	52%
Total Imports	%	51%	73%	77%	81%

120. The Authority notes that:

- i. The volume of imports from subject countries have increased throughout the injury period. The subject imports have increased by 179% over the injury period.
- ii. Imports in relation to production and consumption have also increased over the injury period. The subject imports account for 52% of the consumption in India during the period of investigation.
- iii. While the subject imports comprised 51% imports into India during the base year, the volume of subject imports has more than doubled over the injury period. The subject imports account for 81% of imports into India during the period of investigation.
- iv. The subject imports have increased at a pace higher than the increase in demand. The demand in India has increased by 40% in the period of investigation as compared to the base year, while the subject imports have increased by 179% over the same period.

121. With regard to the submissions that the increase in imports has not caused any injury to the domestic industry as the sales of the domestic industry have increased, the Authority notes that the domestic industry has sold the subject goods at losses. The increase in volume parameters of the domestic industry is due to compromising on profitability by the domestic industry.

**3. Price Effect of Dumped Imports**

122. With regard to the effect of the dumped imports on price of the domestic industry, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

**a. Price Undercutting**

123. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject countries.

Particulars	Unit	Amount
Selling price	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	27,024
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	15-25%

124. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price undercutting is positive and significant. The domestic industry has submitted that the landed price of subject imports is not just below the selling price of the domestic industry but also the cost of sales of the domestic industry.

**b. Price Suppression and Depression**

125. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, are compared as below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	105	102
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	124	122
Landed price	₹/MT	32,618	37,733	28,916	27,024
Trend	Indexed	100	116	89	83

126. The Authority notes that in 2022-23, both the cost of sales and selling price of the domestic industry increased. However, the increase in selling price was lower than the increase in cost of sales of the domestic industry. The import price increased less than increase in cost of sales and selling price in 2022-23. In 2023-24, the selling price and cost of sales of the domestic industry decreased, but the decline in selling price was higher than decline in cost of sales of the domestic industry. During the period of investigation, the cost of sales and selling price declined further. The landed price was below the cost of sales and selling price during the period of investigation, forcing the domestic industry to reduce its prices, despite the same already being below the cost of sales. On overall basis, while both cost of sales and selling price have increased over the injury period, the increase in selling price is much less than the increase in cost of sales. Thus, the imports have depressed the prices of the domestic industry and have prevented price increases, which otherwise would have occurred.

**4. Economic Parameters of the Domestic Industry**

127. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the prices of the domestic industry. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased

evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

128. The injury parameters have been examined objectively taking into account various facts and submissions made.

**a) Production, capacity, capacity utilization and sales**

129. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	MT	31,61,750	33,48,531	34,38,531	36,16,031
Production	MT	16,26,523	14,47,193	14,45,028	14,42,008
Capacity utilization	%	51%	43%	42%	40%
Domestic sales	MT	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083

130. The Authority notes that:

- i. While the capacity of the domestic industry has increased over the injury period, the production has declined.
- ii. The demand in India is higher than the capacities of the domestic industry and hence, the demand is enough for the domestic industry to utilise its capacities fully. Even then, the capacity utilization of the domestic industry has declined.
- iii. The domestic sales of the domestic industry has increased. The domestic industry has submitted that the said increase is only due to compromising on profitability.

131. With regard to the submissions that the capacity utilization of the domestic industry has declined due to addition of capacities, the Authority notes that not just the capacity utilization but the actual production of the domestic industry has also declined. While the domestic industry has increased capacities and the demand in India has also increased, the production has declined. Thus, the decline in capacity utilization cannot be considered to be due to increase in capacities.

**b) Market Share**

132. The market share of the domestic industry, other domestic producers, subject imports and imports from the other countries are given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	23%	20%	23%	22%
Other Indian producers	%	25%	18%	15%	14%
Subject imports	%	26%	45%	47%	52%
Other imports	%	25%	16%	14%	12%

133. The Authority notes that:

- i. The share of the domestic industry as well as the Indian industry as a whole has declined over the injury period.
- ii. The share of imports from other countries has also declined.
- iii. The share of the subject imports in demand has increased, and the subject imports account for half the share of the market. The subject imports have taken over the market share of the Indian industry as well as imports from other countries.

**c) Inventories**

134. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	1,04,260	1,64,201	2,19,746	1,99,085

135. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased over the injury period. While the domestic industry has sold the subject goods at losses during the period of investigation and the production of the domestic industry has reduced, the inventories of the domestic industry have increased.

**d) Profitability, return on investment and cash profits**

136. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	124	122
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	125	105	102
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(18)	(22)	(37)
Total Profit/(Loss)	₹/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(19)	(26)	(41)
Cash Profit	₹/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(2)	(2)	(14)
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	%Indexed	100	2	10	(10)

137. The Authority notes that:

- The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period. While the domestic industry earned profits in 2021-22, it has incurred only losses thereafter. Further, the losses of the domestic industry have increased year after year post 2022-23.
- While the domestic industry was able to increase its sales as it was selling at losses, the total losses of the domestic industry have increased.
- The cash profits have declined significantly and to such an extent that the domestic industry has incurred cash losses not just in the period of investigation but also in 2022-23 and 2023-24.
- The return on capital employed of the domestic industry has also followed the same trend. The return on capital employed has declined significantly over the injury period. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.

**e) Employment, productivity and wages**

138. Employment, productivity and wages of the domestic industry over the injury period is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of Employees	Nos	1,809	1,822	1,942	1,900
Wages	₹/Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	93	97	93
Productivity per day	MT/days	4,647	4,135	4,129	5,341
Productivity per employee	MT/No.	899	794	744	759

139. The Authority notes that the number of employees of the domestic industry have increased over the injury period with increase in capacities. The productivity per employee as well as salaries and wages have declined over the injury period.

**f) Growth**

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	%	-	6%	3%	5%
Production	%	-	(11)%	(0.1)%	(0.2)%
Domestic Sales	%	-	7%	7%	(4)%
Profit/Loss	%	-	(118)%	(23)%	(65)%
Cash profits	%	-	(102)%	(11)%	(495)%
Return on capital employed	%	-	(98)%	307%	(198)%

140. The Authority notes that:

- i. The capacity of the domestic industry has increased year on year till the period of investigation.
- ii. The volume parameters of the domestic industry including production and domestic sales of the domestic industry have declined in the period of investigation.
- iii. The profitability parameters of the domestic industry have declined year on year during the injury period. The domestic industry has suffered financial losses and cash losses in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. Further, the losses of the domestic industry have increased and shown a negative growth over the injury period.
- iv. The return on capital employed showed a negative growth in 2022-23, however, the same improved in 2023-24. The return on capital employed has shown negative growth once again in the period of investigation.

**g) Factors affecting domestic prices**

141. Since the price of subject imports is lower than the selling price of the domestic industry, the same has created a strain on the prices of the domestic industry. Further, the imports are below the non-injurious price and cost of sales of the domestic industry. This has forced the domestic industry to sell at prices below their cost, resulting in financial and cash losses. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry and have prevented price increases, which otherwise would have occurred. Therefore, the Authority provisionally concludes that the imports are adversely impacting the prices of the domestic industry.

**h) Magnitude of dumping and dumping margin**

142. The Authority notes that the subject goods from the subject countries are being dumped in India and the dumping margin is positive and significant.

**i) Ability to raise capital investment**

143. The Authority notes that the domestic industry has incurred financial losses and cash losses in 2022-23, 2023-24 and the period of investigation. Further, the domestic industry has recorded a negative return on capital employed. In such a case, the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

**I. Magnitude of Injury Margin**

144. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the

raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.

145. The landed price for the cooperative exporters has been determined on the basis of the data furnished by the exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
146. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

S.N.	Country of origin	Non-Injurious Price	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
A	Australia	***	***	***	***	15-25%
B	China PR	***	***	***	***	25-35%
C	Colombia	***	***	***	***	25-35%
D	Indonesia	***	***	***	***	15-25%
E	Japan	***	***	***	***	10-20%
F.	Russia	***	***	***	***	15-25%

#### **J. Non-attribution analysis and causal link**

147. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules:

##### **a. Volume and value of imports from third countries**

148. It is noted that apart from the subject countries, imports are in significant volumes only from Poland during the period of investigation. However, imports from Poland are priced higher than the price of imports from the subject countries. Therefore, the injury is not attributable to imports from third countries.

##### **b. Contraction in demand**

149. The demand for the subject goods has increased over the injury period. Thus, injury cannot be attributed to any contraction in demand.

##### **c. Pattern of consumption**

150. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.

##### **d. Conditions of competition and trade restrictive practices**

151. There are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have caused injury to the domestic industry.

##### **e. Developments in technology**

152. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.

##### **f. Productivity**

153. The productivity of the domestic industry has changed with change in production of the domestic industry. Thus, injury cannot be due to decline in productivity.

##### **g. Export performance of the domestic industry**

154. The injury information examined hereinabove related only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

**h. Performance of other products**

155. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.

**i. FTAs with some subject countries**

156. With regard to the submissions that the injury to the domestic industry is due to reduction in MFN duty rates due to FTAs signed by India with Australia, China, Indonesia and Japan, the Authority notes that the landed price of imports from all subject countries is below the non-injurious price of the domestic industry. Thus, the injury is not due to low price of imports only from the countries with which India has signed an FTA.
157. The Authority further notes that the customs duty was reduced to the minimum levels from all countries barring Australia prior to the period of investigation. The domestic industry was profitable in 2021-22, when the custom duties were the same as that in the period of investigation. As regard, Australia, the landed price of imports from Australia is higher than most of the countries even though the same is not subject to customs duty.

**K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES****K.1. Submissions by other interested parties**

158. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the Indian industry's interest.
- i. Imposition of anti-dumping duty will result in increase in price of the product under consideration which will raise input cost of the downstream industry and lead to decline in profitability, competitiveness and employment levels of the steel producers.
  - ii. Imposition of anti-dumping duty may disincentivize the domestic industry from improving operational efficiencies and adopting advance technologies.
  - iii. There is a demand-supply gap in India and imports are essential to fulfil the same.
  - iv. The domestic industry is already protected by safeguard measures in force.
  - v. The domestic industry is abusing the trade remedial investigations as there is over reliance by the domestic industry on trade remedial measures.

**K.2. Submissions by the domestic industry**

159. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:
- i. Public interest must be determined with regard to interests of (a) the domestic producer of like article, (b) the domestic consumers of the product, (c) the upstream and downstream industries in both the producing and consuming industry, and (d) the general public.
  - ii. There will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty which is evident from the fact that there has been no adverse impact of anti-dumping duty in the past.
  - iii. The impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry is less than 1%.
  - iv. Since the impact of the anti-dumping duty is minimal, it is likely to be borne by the downstream industry and not passed on to the users.
  - v. The downstream industry does not change the price of its product based on the fluctuation in prices of the product under consideration.
  - vi. The domestic industry has suffered significantly due to subject imports leading to unfavourable market conditions for any further investments.
  - vii. The Indian industry holds sufficient capacities to cater to the entirety of the merchant demand in India.
  - viii. The current capacities of the domestic industry are higher than the demand in India therefore, imposition of duties will not lead to shortage of the product under consideration in India.
  - ix. A number of producers ceased operations due to dumping in India. The producers suffered due to accumulated inventories and were forced to shut down their operations.
  - x. Major steel manufacturers have captive coke oven plants and will not be impacted by any measures on imports of the product under consideration.

- xi. The downstream industry is insulated and well-protected by the Government of India under various schemes and measures.
- xii. The downstream product is subject to higher basic customs duty as compared to the subject goods.

### K.3. Examination by the Authority

160. The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duty is to remedy the injury inflicted upon the domestic industry by unfair trade practice of dumping. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.
161. The Authority notes, that the prices of the domestic industry as well as landed price of imports have declined significantly in the period of investigation. The prices were much higher in the past. Since there was no adverse impact on the performance of downstream industry in the past due to such high prices, there likely will not be any adverse impact of imposition of anti-dumping duty.
162. As regard the submissions that there is a demand-supply gap in India, the Authority notes that the same is incorrect. As per the information on record, the capacity of the domestic industry is much more than the merchant demand in India. While imposition of anti-dumping duty does not restrict imports into India, even in case of cessation of imports, there will likely be no shortage of the product under consideration in India.

Particulars	Volume (MT)
Demand in India (Excluding Captive)	63,93,607
Total Indian Capacity of merchant producers	67,15,931
Demand-supply Gap (Excluding Captive)	(3,22,324)

163. With regard to the submissions that imposition of anti-dumping duty will adversely impact the profitability of the downstream industry, the Authority notes that there is no evidence on record to show that the profitability of the users were hampered due to higher prices of the subject goods in previous years. In any case, as per the evidence on record, the impact of imposition of anti-dumping duty on the downstream industry is less than 1%.

Particulars	Unit	Amount
Present selling price of the domestic industry	₹/MT	***
Non injurious price of the domestic industry	₹/MT	***
Increase in price to reach non-injurious price	₹/MT	***
Price of Hot Rolled Coil Steel	₹/MT	63,959
Met Coke consumption per MT of Steel	Kg/MT	304
Share of merchant producers and imports in total demand in steel industry	%	10%
Met Coke consumption per MT of Steel (purchased from domestic producers of met coke + imports) in steel industry [***% of *** kg/MT]	Kg/MT	30
Increase in price to customer	₹/MT	***
Increase in price to customer	₹/kg	***
Share of increase in price due to anti-dumping duty in Hot Rolled Coil Steel	₹/MT	***
Impact of anti-dumping duty	%	<0.15%

*\*Hot Rolled Coil Steel of 2.5 mm*

164. The Authority also notes that the major consumption of the subject goods is in steel industry. However, majority of steel producers have captive coke oven plants and are insulated by change in market price of the subject goods. Thus, there will be no adverse impact on such producers. Further, since the product used by ferroalloy industry has already been excluded, there is no adverse impact on the ferroalloy industry as well.

Segment	Consumption				Segment-wise Share %	
	Gross (KT)	Captive (KT)	Merchant (KT)	Share of Merchant	Overall	Merchant
Steel	34,147	30,522	3,625	11%	89%	54%
Pig Iron	2,018	1,064	954	47%	5%	14%
Zinc, Soda Ash & Others	736	0	736	100%	2%	11%
Ferro Alloys	525	0	525	100%	1%	8%
Foundry	266	0	266	100%	1%	4%
Others	629	0	629	100%	2%	9%
Total	38,320	31,586	6,734		100%	100%

165. The applicant has submitted that the downstream industry has been provided adequate support by the Government of India. Since the domestic industry is suffering intensified injury, it is essential to remedy the situation for the Indian industry producing subject goods as well.
166. With regard to the contention that the applicants are taking undue advantage of trade remedial measures, the Authority notes that the anti-dumping duty has been imposed on imports of the product under consideration multiple times in the past, as a result of dumping of the product. The Authority has conducted detailed examination of dumping, injury and causal link and thereafter, recommended imposition of anti-dumping duty. The number of measures on imports of the product under consideration shows the pricing and unfair trade practice of the producers in the subject countries.
167. With regard to the submissions that the quantitative restrictions in force will address injury to the domestic industry, the Authority notes that such measures are temporary in nature. The producers in the subject countries have engaged in unfair trade practice and have dumped the product under consideration in India during the period of investigation. The period of investigation in the present investigation is after the most recent period in the safeguard investigation. Since unfair practice has continued in India, there is a need for imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.
168. The Authority notes that a number of producers shut down their operations due to extensive dumping in India. \*\*\* were forced to shutdown. Further, the Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased even though it has reduced production and sold the subject goods at losses. In case, the present situation persist, other producers are also likely to shutdown.

#### **L. CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS**

169. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority provisionally concludes that:
- The application for initiation of anti-dumping investigation against imports of Low Ash Metallurgical Coke originating or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia was filed by the Indian Metallurgical Coke Manufacturers Association on behalf of the domestic industry. Nine members of the applicant association have filed data for the purpose of the present investigation.
  - The product under consideration is Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing.
  - The exclusion requests made by the other interested parties have been examined and the Authority provisionally finds that the domestic industry has produced and sold the like article to the products for which exclusion has been requested. Accordingly, no other exclusion has been considered by the Authority.
  - The domestic industry has produced like article to the product under consideration imported from the subject countries.
  - The domestic producers which have provided data for the purpose of the present investigation account for major proportion of Indian production. None of the producers barring Bengal Energy Limited have imported the product under consideration into India during the period of investigation. The imports of Bengal Energy Limited are not significant as compared to the production, demand and imports into India. None of the domestic producers are related to any exporter of the subject goods in the subject countries or any importers in India. Accordingly, the Authority has provisionally considered the domestic producers eligible to constitute domestic industry.

- vi. Jindal Coke Limited has clarified it has not imported the product under consideration in India from the subject countries during the injury period and has provided detailed data. Accordingly, it has been considered a part of the domestic industry.
  - vii. The normal value and export price for cooperative producers and exporters have been provisionally determined based on the information provided by them. The same is subject to verification.
  - viii. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is significant and above *de minimis*.
  - ix. Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute and relative terms over the injury period.
  - x. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.
  - xi. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which would have otherwise occurred.
  - xii. As regards to the effect of such dumped imports on the economic parameters of the domestic industry, the following provisional conclusions are reached:
    - a. The capacity of the domestic industry has increased but the production has declined. The capacity utilization of the domestic industry has also declined.
    - b. Even though the domestic industry has sold the subject goods at losses, it was forced to reduce production.
    - c. The market share of the domestic industry and of the Indian industry as a whole has decreased, while that of the subject imports have increased.
    - d. While the demand for the subject goods has increased over the injury period, such increase has been taken over by the subject imports.
    - e. The inventories of the domestic industry increased over the injury period. The inventories have increased despite the fact that the production of the domestic industry has reduced and it has been selling the subject goods at losses.
    - f. The profitability of the domestic industry has declined significantly over the injury period.
    - g. The domestic industry has incurred financial losses as well as cash losses over the injury period.
    - h. The return on capital employed of the domestic industry has declined significantly over the injury period. The domestic industry has recorded a negative return on capital employed in the period of investigation.
    - i. The ability of the domestic industry to raise capital investments has been adversely impacted.
  - xiii. The domestic industry has suffered material injury due to dumping of subject goods from the subject countries.
  - xiv. No other known factors have caused injury to the domestic industry and injury to the domestic industry is due to dumping of the subject imports into India.
  - xv. The imposition of anti-dumping duty is in the interest of public at large. This is evident from the following:
    - a. Imposition of anti-dumping duty will provide a fair playing field to the Indian industry.
    - b. The price of the product under consideration was higher in the past, which did not adversely affect the users.
    - c. The impact of imposition of anti-dumping duty is negligible on the downstream industry.
    - d. The major market segment is catered to by the captive consumers which are insulated by fluctuations in prices of the subject goods.
    - e. There is no demand-supply gap in India. The capacity of the Indian industry is enough to cater to the entirety of merchant demand in India.
    - f. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and recorded a negative return on capital employed. In such a case, the market conditions are not conducive of further investments.
    - g. A number of producers have faced shutdowns due to dumping of the product under consideration in India.
170. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of provisions laid down under the Anti-Dumping

Rules, the Authority is of the view that imposition of provisional duties is required to offset dumping and injury, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject countries.

171. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table appended below.

**Duty Table**

S. No.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 and 2704 0090	Low Ash Metallurgical Coke*	Australia	Any country including Australia	Any	73.55	MT	USD
2	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Australia	Any	73.55	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any	130.66	MT	USD
4	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	China PR	Any	130.66	MT	USD
5	-do-	-do-	Colombia	Any country including Colombia	Any	119.51	MT	USD
6	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Colombia	Any	119.51	MT	USD
8	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any	82.75	MT	USD
9	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR,	Indonesia	Any	82.75	MT	USD

S. No.	Heading	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
			Indonesia, Japan and Russia					
10	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any	60.87	MT	USD
11	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Japan	Any	60.87	MT	USD
12	-do-	-do-	Russia	Any country including Russia	Any	85.12	MT	USD
13	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Russia	Any	85.12	MT	USD

\* Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing.

#### **M. FURTHER PROCEDURE**

172. The procedure as mentioned below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

- i. The Authority invites comments on these provisional findings from all interested parties within 15 days from the publication of these findings, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.
- ii. The Authority would conduct an oral hearing in terms of Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules to provide an opportunity to the interested parties to present their views relevant to the subject investigation.
- iii. The date of the oral hearing will be published on the DGTR website. ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in))
- iv. The Authority would conduct further verification of the interested parties as deemed necessary.
- v. The Authority would disclose the essential facts as per the Anti-Dumping Rules before issuing final findings in the subject investigation.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority

## Annexure – I

**List of known importers/users of the product under consideration**

1. Abhijeet Ferrotech Ltd.
2. Akash Coke Industries Pvt. Ltd.
3. Anjaney Ferro Alloys Ltd.
4. Anmol India Ltd,
5. Araas International Trading
6. Arcelormittal Nippon Steel India Ltd.
7. Arjas Steel Pvt. Ltd.
8. Arrk Ferro Alloys Llp.
9. Asansol Alloys Pvt. Ltd.
10. Assam Carbon Products Ltd.
11. Atibir Industries Company Ltd.
12. Avon Advanced Materials Company
13. Axis Business
14. Bagadiya Brothers Pvt. Ltd.
15. Balasore Alloys Ltd.
16. Berry Alloys Ltd.
17. Bhuteshwar Nirman Pvt. Ltd.
18. Bihar Foundry and Casting Ltd.
19. Carbon Resources Pvt. Ltd.
20. Chawla International
21. Chemtrade Global Impex LLP
22. City Link Logistics
23. Deccan Ferro Alloys Pvt. Ltd.
24. Digital Waves Computer Solutions Pvt. Ltd.
25. E Chemex Pvt. Ltd.
26. Emergent Industrial Solutions Ltd.
27. Essel Mines and Minerals
28. Exera Exports Pvt. Ltd.
29. Facor Alloys Ltd.
30. Flsmidth Pvt. Ltd.
31. Foundry Neers
32. GHCL Ltd.
33. Global Recycling
34. Global Trade Link
35. Goyal Dhatu Udyog Pvt. Ltd.
36. Hariaksh Industries Pvt. Ltd.
37. Hira Electro Smelters Ltd.
38. Hira Ferro Alloys Ltd.

39. Hira Power and Steels Ltd.
40. Hubb International
41. Impex Metal and Ferro Alloys Ltd.
42. India Coke and Power Pvt. Ltd.
43. Indian Metals and Ferro Alloys Ltd.
44. Integrated AFR Pvt. Ltd.
45. J D B Coke
46. Jai Balaji Industries Ltd.
47. Jain Natural Resources
48. Jayaswal Neco Industries Ltd.
49. Jindal Steel and Power Ltd.
50. Jindal Stainless Ltd.
51. JSW Ispat Special Products Ltd.
52. JSW Steel Ltd.
53. K I C Metaliks Ltd.
54. Kalyani Steels Ltd.
55. Kirloskar Ferrous Industries Ltd.
56. KMS Traders
57. LK Sri Enterprise LLP
58. Madras Coal and Coke Suppliers
59. Mahalaxmi Continental Ltd.
60. Mahalaxmi Ennore Coke and Power Pvt. Ltd.
61. Mahalaxmi Wellman Fuel Llp
62. Maithan Alloys Ltd.
63. MDA Mineral Dhatu (Ap) Pvt. Ltd.
64. Monnet Ispat and Energy Ltd.
65. Mor Alloys Pvt. Ltd.
66. Mpm-Durrans Refracoat Pvt. Ltd.
67. Mukund Ltd.
68. Naryani Resorources Pvt. Ltd.
69. Narsingh Ispat Ltd.
70. Neelachal Ispat Nigam Ltd.
71. Neo Metaliks Ltd.
72. Nirma Ltd.
73. Nova Carbons India Pvt. Ltd.
74. Orissa Metaliks Pvt. Ltd.
75. Oswal Minerals Ltd.
76. Oswal Smelters Pvt. Ltd.
77. Paragon Overseas Ltd.
78. Paragon Purva Ltd.
79. Pioneer Carbide Pvt. Ltd.

80. Polo Queen Industrial and Fintech Ltd.
81. Pooja Scrap Industries
82. Prakash Commercial
83. Prashanth Coal and Coke Sales
84. Pushpanjali Tradevin Pvt. Ltd.
85. Rashmi Cement Ltd.
86. Rashmi Metaliks Ltd.
87. Renewera LLP
88. Rhodium Ferro Alloys Pvt. Ltd.
89. Rockfit Corporation
90. Roxul Rockwool Insulation India Pvt. Ltd.
91. Royal Marketing
92. Rashtriya Ispat Nigam Ltd.
93. S V Ispat Pvt. Ltd.
94. Sampath Vinayak Steels Pvt. Ltd.
95. Sarda Energy and Minerals Ltd.
96. Sarda Metals and Alloys Ltd.
97. Savoy International Pvt. Ltd.
98. Seekeze Pvt. Ltd.
99. Sharp Ferro Alloys Ltd.
100. Shivan Iron and Steel Company Ltd.
101. Shivamani and Company Pvt. Ltd.
102. Shivkashi Trade Ventures
103. Shraddha Overseas Pvt. Ltd.
104. Shree Bholey Alloys Pvt. Ltd.
105. Shri Jai Baba Trading Company
106. Shrishyam Ingot and Castings (P) Ltd.
107. Shyam Ferro Alloys Ltd.
108. Shyam Sel and Power Ltd.
109. Sivam Alloys and Fuels Llp
110. SLR Metaliks Ltd.
111. Snam Alloys Pvt. Ltd.
112. Sreenathji Enterprises
113. Sri Raghvendra Ferro Alloys Pvt. Ltd.
114. Srikalahasthi Pipes Ltd.
115. Steel Authority of India Ltd.
116. Sundaram Alloys Ltd.
117. Sunflag Iron and Steel Company Ltd.
118. Suraj Products Ltd.
119. Surya Alloy Industries Ltd.
120. Swati Concast and Power Pvt. Ltd.

- 
121. Tata Steel Long Products Ltd.
  122. Tata Steel Ltd.
  123. Tata Steel Mining Ltd.
  124. Trafigura India Pvt. Ltd.
  125. Tuf Metallurgical Pvt. Ltd.
  126. Udaya Udyog
  127. Vidhi Industries
  128. Vimla Fuels Andamp Metals Pvt. Ltd.
  129. Visa Minmetal Ltd.
  130. Vishal Agencies
  131. Vivan Overseas
  132. Welspun Metallica Ltd.
  133. Wisdom Inc.
  134. Yug Alloys